हरियाणा सरकार

लेखे एक दृष्टि में

2014-15

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक.)
हरियाणा, चण्डीगढ़

विषय सूची

विषय	संदर्भ	
	पैरा	पृष्ठ
प्रस्तावना		iii
हमारा परिदृश्य, उद्देश्य और अन्तर्मूल्य		iv
अध्याय 1 - परिदृश्य		
परिचय	1.1	1
सरकारी लेखाओं की संरचना	1.2	1
वित्त लेखे और विनियोग लेखे	1.3	3
निधियों के स्त्रोत एंव उपयोग	1.4	4
लेखों के मुख्य अंश	1.5	7
घाटे एवं अधिशेष क्या दर्शातें हैं ?	1.6	8
अध्याय 2 - प्राप्तियाँ		
परिचय	2.1	10
राजस्व प्राप्तियां	2.2	10
प्राप्तियों के रूझान	2.3	11
राज्य के स्वंय के कर राजस्व संग्रह का प्रदर्शन	2.4	13
कर संग्रह की कार्य कुशलता	2.5	13
पिछलें 10 वर्षो में संघ करों में राज्य के हिस्से का रूझान	2.6	14
सहायतानुदान	2.7	14
लोक ऋण	2.8	15
अध्याय 3 - व्यय		
परिचय	3.1	16
राजस्व व्यय	3.2	16
पूंजीगत व्यय	3.3	18
अध्याय 4 - योजनागत और गैर योजनागत व्यय		
व्यय का वितरण (2014-15)	4.1	20
योजनागत व्यय	4.2	20
गैर योजनागत व्यय	4.3	21
प्रतिबद्ध व्यय	4.4	22

विषय	संदर्भ	
	पैरा	पृष्ठ
अध्याय 5 - विनियोग लेखे		
विनियोग लेखे 2014-15 का सारांश	5.1	23
अनावश्यक अनुपूरक अनुदान	5.2	23
पिछलें 10 वर्षो का बचत और आधिक्य का रूझान	5.3	24
महत्वपूर्ण बचत	5.4	24
अध्याय 6 - परिसम्पत्तियाँ और दायित्व		
परिसम्पत्तियाँ	6.1	25
ऋण और दायित्व	6.2	25
गारंटी	6.3	27
अध्याय 7 - अन्य मदें		
राज्य सरकार द्वारा प्रदत ऋण और अग्रिम	7.1	28
स्थानीय निकायओं और अन्य को वित्तिय सहायता	7.2	28
व्यय एवं प्राप्तियों का मिलान	7.3	28
लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्र	7.4	29
सार आकस्मिकता बिल (ए0सी0 बिल) का असमायोजन	7.5	29
वैयक्तिक जमा खाते	7.6	29
लेखे प्रस्तुत करने वाले संकायों से लेखाओं की प्राप्ति	7.7	30
अपूर्ण लोक लोक निमार्ण कार्यो की बचनबद्धता	7.8	30
आरक्षित निधियॉ	7.9	30
राज्य कोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अन्तर्गत प्रकटन	7.10	33
नई पेंशन स्कीम	7.11	33

प्रस्तावना

'लेखे एक दृष्टि में', जो कि श्रृंखला में सत्रहवां है, विभिन्न पण-धारियों की, हरियाणा राज्य के वित्त-सार पर, पाठक सहयोगी संस्करण की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने का एक प्रयास है ।

यह संस्करण, इस कार्यालय द्वारा भारत के संविधान की धारा 149 एवं नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971 खण्ड-II के अधीन तैयार वित्त-लेखों एवं विनियोग लेखों में दर्ज वृहदाकार सूचनाओं का सार है ।

राज्य सरकार के वार्षिक लेखों में (क) वित्त लेखे एवं (ख) विनियोग लेखे समाहित हैं । वित्त लेखे समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक-लेखों के अन्तर्गत लेखों का सार हैं । विनियोग लेखे राज्य विधान-मण्डल द्वारा अनुमोदित प्रावधानों के प्रति अनुदान-वार व्यय और वास्तविक व्यय तथा अनुमोदित प्रावधानों के बीच विभिन्नता सम्बन्धी व्याख्यानों को दर्शाता है ।

यह वित्त लेखों एवं विनियोग लेखों में दर्ज, सरकार की गतिविधियों का सम्पूर्ण दृश्य दिखाता है । सूचनाओं को आसानी से समझने के लिए, संक्षिप्त व्याख्या, विवरणी, रेखाचित्र एवं समय श्रृंखला विशलेषण के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है । हरियाणा सरकार के वर्ष 2014-15 के वित्त-लेखों, विनियोग लेखों एवं राज्य के वित्त पर भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सहित ' लेखे एक दृष्टि में ' का अवलोकन पण-धारियों को राज्य के वित्त के विभिन्न पहलुओं को अधिक प्रभावी ढंग से समझाने में सहायक होगा ।

हमें पाठकों की प्रतिक्रिया, जिस से संस्करण को उत्कृष्ट बनाने में सहायता मिलेगी, की प्रतीक्षा है।

चण्डीगढ़
30 नवम्बर, 2015

(कर्ण सिंह)
महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)
हरियाणा

हमारा परिदृश्य, उद्देश्य और अन्तर्मूल्य

भारत के नियंत्रक महालेखा-परीक्षा संस्थान का **परिदृश्य** यह प्रस्तुत करना है कि हम क्या बनने के अभिलाषी हैं।

हम प्रयत्नरत हैं कि हम लेखा और लेखा परीक्षा के मामले में राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम व्यवहारों के सम्बध में, सार्वभौमिक नेतृत्व प्राप्त करें, और सार्वजनिक वित्त व शासन के संबंध में स्वतंत्र, साख पूर्ण, संतुलित और समायोचित प्रतिवेदन प्रस्तुत करें ।

हमारा **उद्देश्य** वर्णन करता है कि हम आज कल क्या कर रहे हैं, और हमारी वर्तमान भूमिका क्या है ।

भारत के संविधान द्वारा समर्थित, हम उच्च गुणवत्तापूर्ण लेखा व लेखा परीक्षा के माध्यम से जिम्मेवारी, पारदर्शिता और सुशासन को प्रोत्साहन देते हैं तथा हमारे पणधारियों-विधानपालिका, कार्यपालिका और जनता को स्वतंत्र वचन देते हैं कि सार्वजनिक धन का दक्षता पूर्ण और उद्देश्यपूर्ण प्रयोग हो रहा है ।

हमारे **अन्तर्मूल्य**, जो कुछ हम करते हैं उसके संबंध में हमें दिशा निर्देश देते हैं और हमारे प्रदर्शन के मूल्यांकन के संबंध में न्यायिक चिन्ह प्रदान करते है ।

- स्वतंत्रता
- उद्देश्यपूर्णता
- एकरूपता
- विश्वसनियता
- व्यवहारिक उत्कृष्ता
- पारदर्शिता
- सकारात्मकता

अध्याय 1 - परिदृश्य

1.1. परिचय

महालेखाकार (लेखा व हकदारी) हरियाणा, हरियाणा सरकार के आय व व्यय के लेखों को संकलित करते हैं। ये लेखे,जिला कोषागारों, लोक निर्माण विभाग व वन मण्डलों के अधिकारियों तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भेजी गयी सुचनाओं पर आधारित होते हैं । इसके उपरांत महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रति वर्ष वित्त लेखे व विनियोग लेखे तैयार करते हैं, जिन्हें प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) द्वारा परीक्षित व भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणित किये जाने के उपरान्त राज्य विधान मंडल को प्रस्तुत किया जाता है ।

1.2. सरकारी लेखाओं की संरचना

1.2.1. सरकारी लेखे तीन भागों में रखे जाते है:

भाग I समेकित निधि	राजस्व व पूंजीगत, लोक देनदारियां एवं ऋण व अग्रिम से सम्बन्धित सभी प्राप्तियाँ तथा व्यय ।
भाग II आकस्मिक निधि	बजट में प्रावधान न किये गये आकस्मिक व्यय की पूर्ति हेतु । इस निधि से खर्च की बाद में समेकित निधि से प्रतिपूर्ति की जाती है ।
भाग III लोक लेखा	ऋण, जमा, अग्रिम, प्रेषण और उचन्त लेन-देन । ऋण तथा जमा राज्य सरकार के दायित्वों को दर्शातें हैं । अग्रिम सरकार के प्राप्तेय हैं । प्रेषण तथा उचन्त लेन-देन, ऐसी प्रविष्टियां होती है जिन्हें कालान्तर में अंतिम लेखाशीर्षों में समायोजित किया जाता है ।

1.2.2. सरकारी लेखों की संरचना का चित्रमय प्रदर्शनः

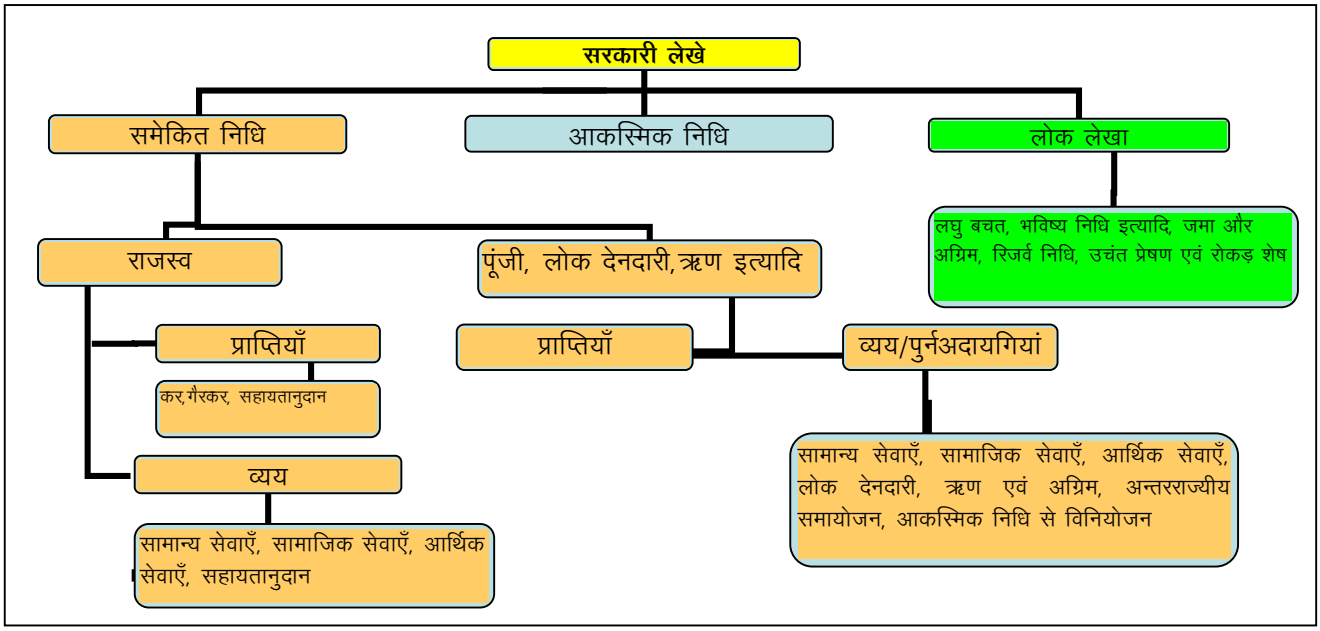

1.2.3 लेखाओं का संकलन

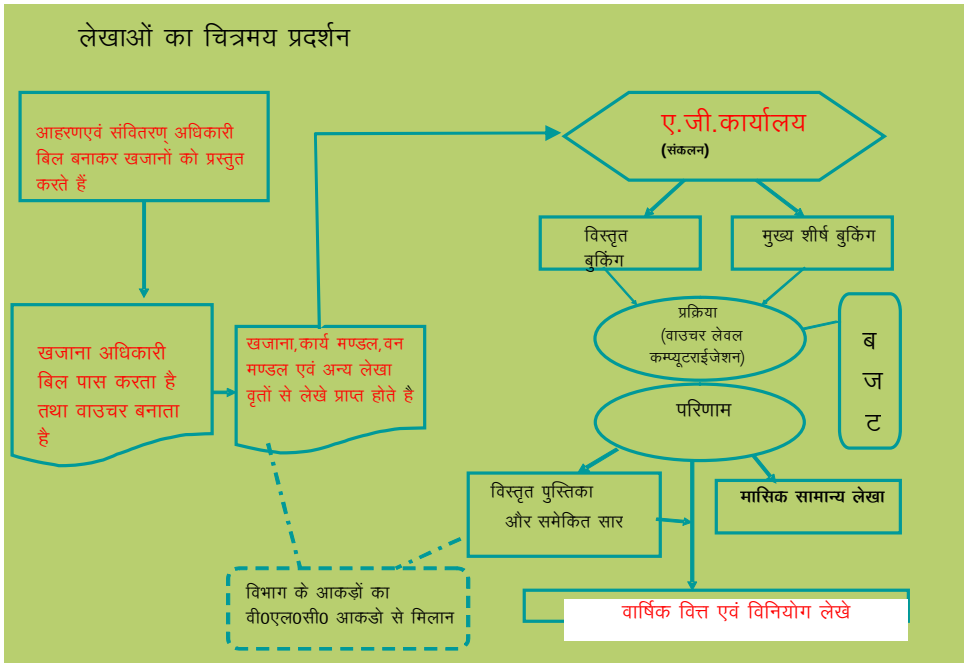

1.3. वित्त लेखे और विनियोग लेखे

1.3.1. वित्त लेखे

वित्त लेखे, राजस्व व पूंजीगत लेखों के वित्तिय परिणामों व लोक ऋण तथा लोक लेखों के शेषों के साथ-साथ सरकार की प्राप्तियों व व्ययों को दर्शाते हैं । वित लेखे को अधिक सुगम व सूचनात्मक बनाने के लिये एक नये रूप में दो खण्डों में प्रकाशित किया गया है । खण्ड । में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रमाण पत्र, सकल प्राप्तियों तथा व्ययों के सारांश संबंधी विवरणियां, लेखा संबंधी महत्वपूर्ण नीतियां तथा लेखों की गुणवत्ता व अन्य मदों के साथ-साथ लेखों पर टिप्पणियां शामिल हैं । खण्ड ।। में विस्तृत विवरणियां (भाग- I) व परिशिष्ट (भाग- II) शामिल हैं ।

वित्त लेखे 2014-15 में दिखाये गये राजस्व व पूंजीगत लेखे, लोक ऋण और दायित्व निम्न लिखित है ।

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियां (कुल: 53,677)	**राजस्व (कुल: 40,799)**	कर राजस्व	**31,183**
		कर रहित राजस्व	**4,613**
		सहायतानुदान	**5,003**
	पूंजीगत (कुल: 12,878)	**पूंजीगत प्राप्तियाँ**	**19**
		ऋण तथा अग्रिमों की वसूलियां	**273**
		उधार व अन्य दायित्व*	**12,586**
संवितरण (कुल: 53,677)	**राजस्व**		**49,118**
	पूंजीगत		**3,716**
	ऋण तथा अग्रिम		**843**

* **उधार व अन्य दायित्वः लोक ऋण का (प्राप्तियां व संवितरण) निवल (₹10,631 करोड़) + आकस्मिक निधि का निवल(-) + लोक लेखे में (प्राप्तियां व संवितरण) निवल (₹2,683 करोड़) + आरभिक व अंतिम रोकड़ शेषों का निवल(- ₹ 728 करोड़) ।**

केन्द्र सरकार विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों को लागू करने हेतू कार्यान्वित अभिकरणों/गैर सरकारी संस्थानों की निधियां सीधे तौर पर हस्तांतरित करती है । इस वर्ष सीधे तौर पर भारत सरकार ने ₹1,285 करोड़ (₹ 3,220 करोड़ बीते वर्ष) जारी किये । चूकिं ये निधियां राज्य सरकार के बजट के माध्यम से नहीं आयी, इसलिए ये राज्य सरकार के लेखाओं में प्रदर्शित नहीं की गई । ये हस्तांतरण वित्त लेखे के खण्ड-II के परिशिष्ट-VI में दर्शायी गयी हैं ।

1.3.2. विनियोग लेखे

विनियोग लेखे, वित्त लेखे का अनुपूरक है । विनियोग लेखे राज्य विधानमंडल द्वारा पारित दत्तमत और प्रभारित धनराशियों के विरूद्ध किये गये व्यय को प्रस्तुत करते हैं ।

विनियोग अधिनियम 2014-15 में ₹ 4,351 करोड़ की अनुपूरक अनुदानों को सम्मिलित करते हुए ₹ 86,832 करोड़ के सकल व्यय की व्यवस्था की गई है । व्यय की कमी से वसूलियों के लिए ₹ 9,181 करोड़ की धनराशि की व्यवस्था थी । विनियोग लेखे 2014-15 कुल प्रावधान ₹ 86,832 करोड़ के विरूद्ध ₹ 68,888 करोड़ के संवितरण को दर्शातें हैं । परिणाम स्वरूप अनुदानों और विनियोगों के विरूद्ध ₹ 17,944 करोड़ की बचत हुई है। ₹ 6,984 करोड़ की व्यय में कमी से संबिंधत वसूलियां बजट अनुदान की तुलना में ₹ 2,197 करोड़ की नकारात्मक वृद्धि को दर्शाते हैं ।

1.4. निधियों के स्त्रोत एवं उपयोग

1.4.1. अर्थोपाय अग्रिम

भारतीय रिजर्व बैंक राज्य सरकारों को अपनी आर्थिक परिसमापन स्थिति को बनाए रखने के लिए अर्थोपाय पेशगियों की सुविधा देती है और उसके बाद जब कभी सहमत न्यूनतम रोकड़ शेषों (₹ 1.14 करोड़) में कमी होती है तब ओवर ड्राफ्ट की सुविधा देती है जिसका लेखा रिजर्व बैंक रखता है। वर्ष 2014-15 के दौरान हरियाणा सरकार ने अर्थोपाय पेशगी नहीं प्राप्त की।

1.4.2. निधि प्रवाह विवरण

राज्य के पास ₹ 8,319 करोड़ का राजस्व घाटा और ₹ 12,586 करोड़ का राजकोषीय घाटा था जो सकल राज्य धरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी)[1] का क्रमशः 1.91 प्रतिशत एवं 2.89 प्रतिशत था। राजकोषीय घाटा कुल व्यय का 23 प्रतिशत था। इसकी भरपाई लोक ऋण से की गयी । राज्य की लगभग 62 प्रतिशत राजस्व प्राप्तियां (₹40,799 करोड़) प्रतिबद्ध व्यय जैसे वेतन (₹ 13,759 करोड़) ब्याज भुगतान (₹6,928 करोड़) एवं पेंशन (₹ 4,602 करोड़) पर खर्च हुई।

[1] प्रकाशित राज्य सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़े वर्तमान दरों पर जैसा कि सांख्याकी एवं योजना क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किए गए।

निधियों के स्त्रोत और उपयोग

(₹ करोड़ में)

	विवरण	राशि
	प्रारंभिक रोकड़ शेष 01 अप्रैल 2014 को	(-) 652
	राजस्व प्राप्तियां	40,799
	पूंजीगत प्राप्तियां	19
	ऋण तथा अग्रिमों की वसूलियां	273
	लोक ऋण (अर्थोपाय पेशगियां भी शामिल है)	18,859
	भविष्य निधि, लधु बचत और अन्य	2,748
	आरक्षित और निक्षेप निधियाँ	1,475
स्त्रोत	जमा प्राप्तियां	17,065
	सिविल अग्रिमों का पुनर्भुगतान	27
	उचन्त लेखे	50,502
	प्रेषण	6,514
	आकस्मिक निधि	-
	कुल	**1,37,629**
	राजस्व व्यय	49,118
	पूंजीगत व्यय	3,716
	प्रदत्त ऋण	843
	लोक ऋण का पुनर्भुगतान (अर्थोपाय पेशगियां भी शामिल है)	8,227
	आकस्मिक निधि को विनियोजन	-
	भविष्य निधि लधु बचत और अन्य	1,707
	आरक्षित और निक्षेप निधियाँ	1,436
उपयोग	जमा व्यय	16,594
	प्रदत्त सिविल अग्रिम	27
	उचन्त लेखे	49,537
	प्रेषण	6,528
	अंतिम रोकड़ शेष 31 मार्च 2015 को	76
	कुल	**1,37,629**

1.4.3. रूपये का आवक स्थान

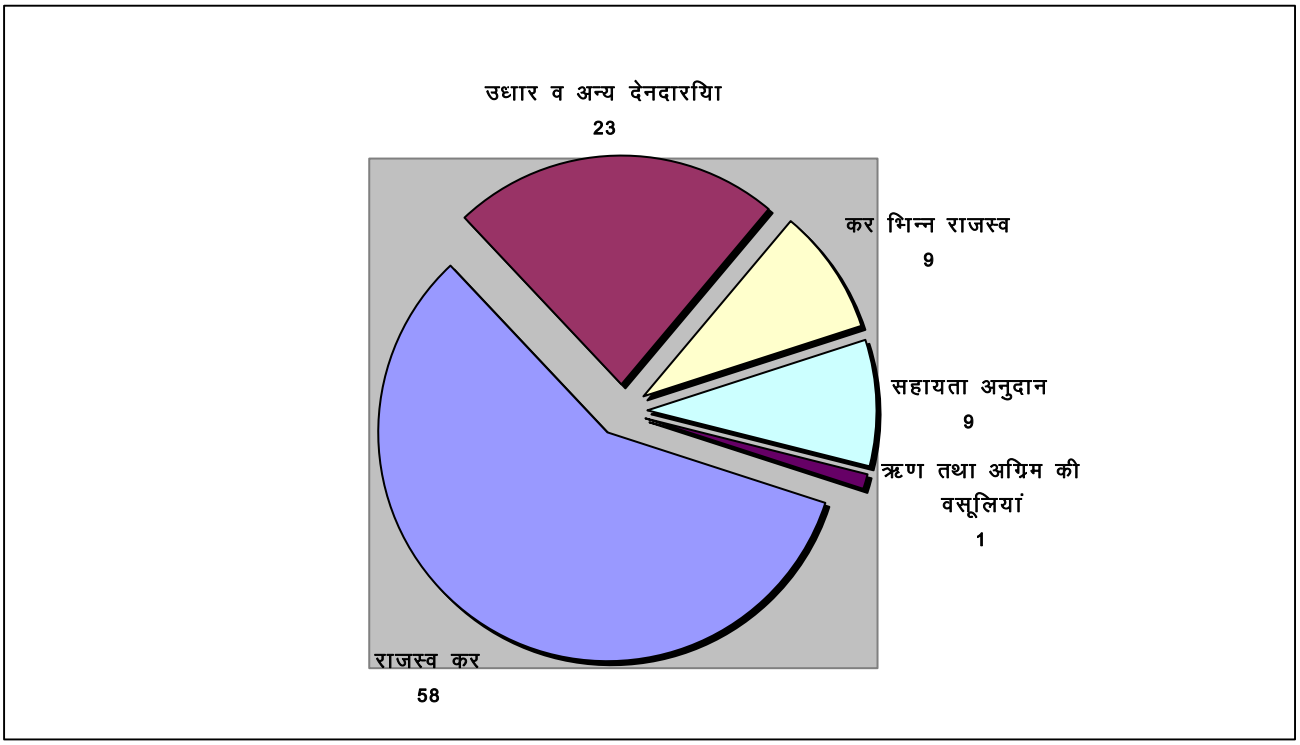

1.4.4. रूपये का जावक स्थान

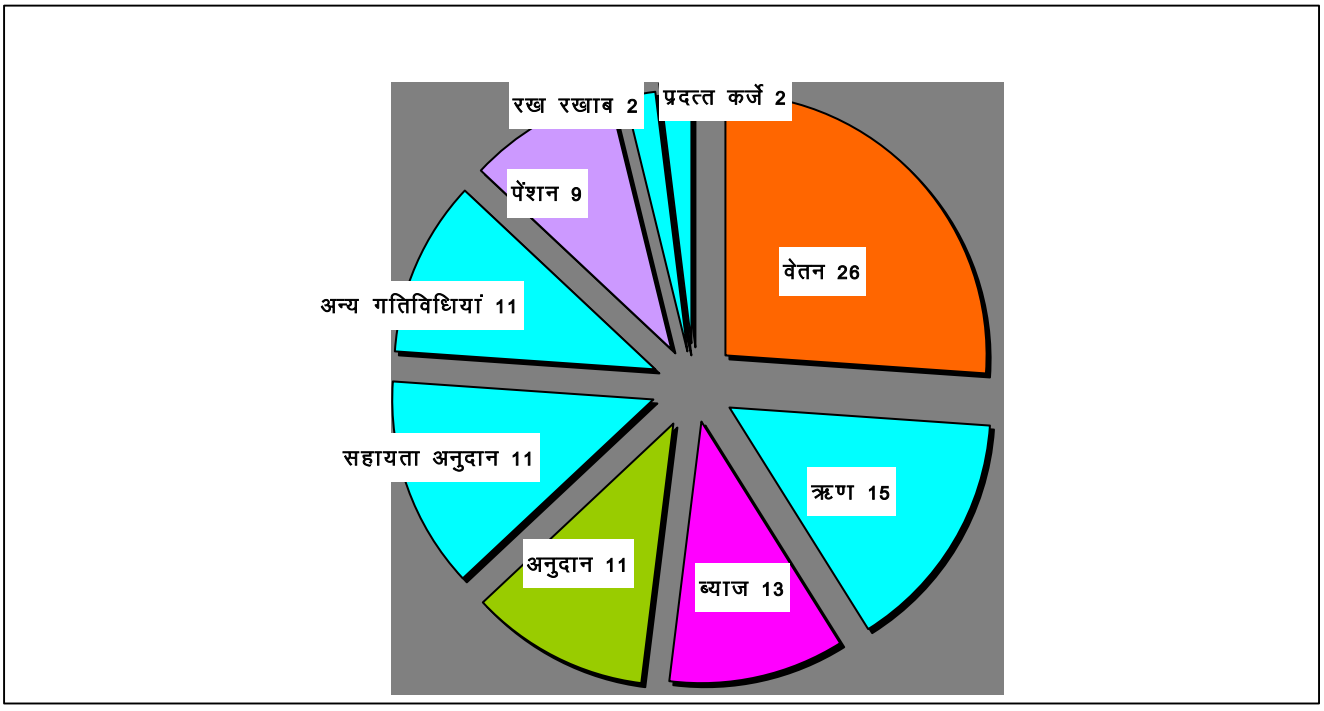

1.5 लेखे के मुख्य अंश

(₹ करोड़ में)

	घटक	बजट अनुमान 2014-15	वास्तविक आंकड़े	वास्तविक आंकड़ों की बजट अनुमानों से प्रतिशतता	वास्तविक आंकड़ों की जी.एस.डी.पी से प्रतिशतता ($)
1	कर राजस्व @	34,385	31,183	91	7
2	कर भिन्न राजस्व	5,866	4,613	79	1
3	सहायकता अनुदान तथा अंशदान	7,439	5,003	67	1
4	राजस्व प्राप्तियां (1+2+3)	47,690	40,799	86	9
5	ऋणों की वसूली	342	273	80	..
6	अन्य प्राप्तियां	26	19	73	..
7	उधार एवं अन्य दायित्व (क)	11,393	12,586	110	3
8	पूंजीगत प्राप्तियां (5+6+7)	11,761	12,878	109	3
9	कुल प्राप्तियां (4+8)	59,451	53,677	90	12
10	योजनेत्तर व्यय	36,798	35,237	96	8
11	राजस्व लेखे पर योजनेत्तर व्यय	36,778	36,358	99	8
12	मद संख्या 11 में से ब्याज के भुगतान पर योजनेत्तर व्यय	7,139	6,928	97	2
13	पूंजीगत लेखे पर योजनेत्तर व्यय	20	(-)1,121	..	..
14	योजनागत व्यय	21,652	17,597	81	4
15	राजस्व लेखे पर योजनागत व्यय	15,925	12,760	80	3
16	पूंजीगत लेखे पर योजनागत व्यय	5,727	4,837	84	1
17	कुल व्यय (10+14)	58,450	52,834	90	12
18	राजस्व व्यय (11+15)	52,703	49,118	93	11
19	पूंजीगत व्यय (13+16)	5,747	3,716	65	1
20	ऋणों का संवितरण	1,001	843	84	..
21	राजस्व आधिक्य घाटा (4-18)	(-)5,013	(-)8,319	166	2
22	राजकोषीय घाटा (4+5+6-17-20)	(-)11,393	(-)12,586	110	3

(@) ₹ 3,548 करोड़ संघीय कर का राज्य का हिस्सा शामिल है।

($) ₹ 4,35,310 करोड़ जी.एस.डी.पी. वर्तमान दरों पर सांख्यायिक एवं योजना क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा 31 जुलाई, 2015 मे प्रकाशित ।

(क) उधार तथा अन्य दायित्वः निवल (प्राप्तियां-संवितरण) लोक ऋण + निवल आकस्मिक निधि + निवल (प्राप्तियां-संवितरण) लोक लेखे + नकद प्राप्तियों का आरभिक शेष निवल

1.6 घाटे एवं अधिशेष क्या दर्शाते हैं?

घाटा	राजस्व एवं व्ययों के बीच के अंतर को संदर्भित करता है। घाटे का प्रकार, घाटे का वित्त पोषण कैसे किया गया एवं निधियों के उपयोग वित्तीय प्रबंधन में विवेक के महत्वपूर्ण संकेतक है ।
राजस्व घाटा/अधिशेष	राजस्व प्राप्तियों एवं राजस्व व्ययों के अन्तर को संदर्भित करता है । राजस्व व्यय के लिए सरकार की वर्तमान स्थापना को बनाये रखने के लिए आवश्यक है कि यह व्यय पूरी तरह राजस्व प्राप्तियों से ही हो।
राजकोषीय घाटा/अधिशेष	कुल प्राप्तियों (उधार छोड़कर) और कुल व्यय के बीच अंतर को संदर्भित करता हो । यह अंतर, इस प्रकार इंगित करता हैकि कौन सा व्यय उधार द्वारा वित्त पोषित है। आदर्श रूप में उधारों को पूंजीगत परियोजनाओं में निवेशित करना चाहिए।

1.6.1 राजस्व घाटा/आधिक्य के रूझान:

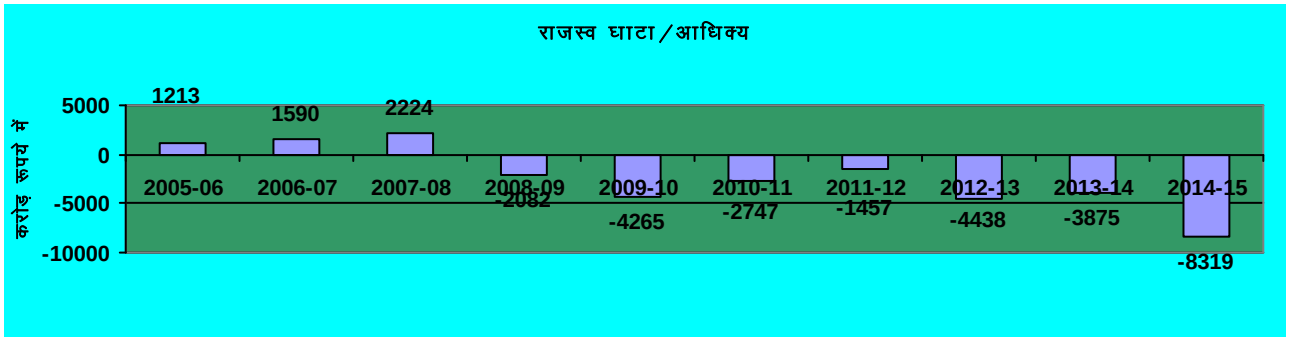

1.6.2 राजकोषीय घाटे के रूझान:

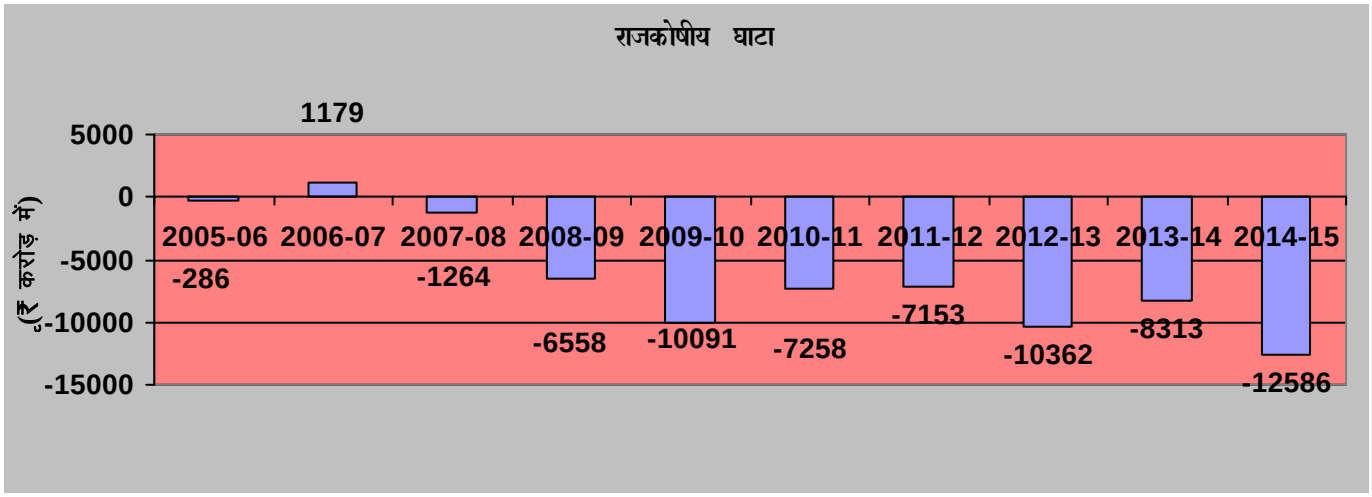

1.6.3 पूंजीगत व्यय पर खर्च की गई उधार निधि का अनुपात

(₹ करोड़ में)

	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
उधार निधि	3,349	2,012	844	3,888	8,455	10,513	11,741	15,560	17,713	18,859
पूंजीगत व्यय	1,612	2,428	3,426	4,502	5,218	4,031	5,372	5,762	3,935	3,716

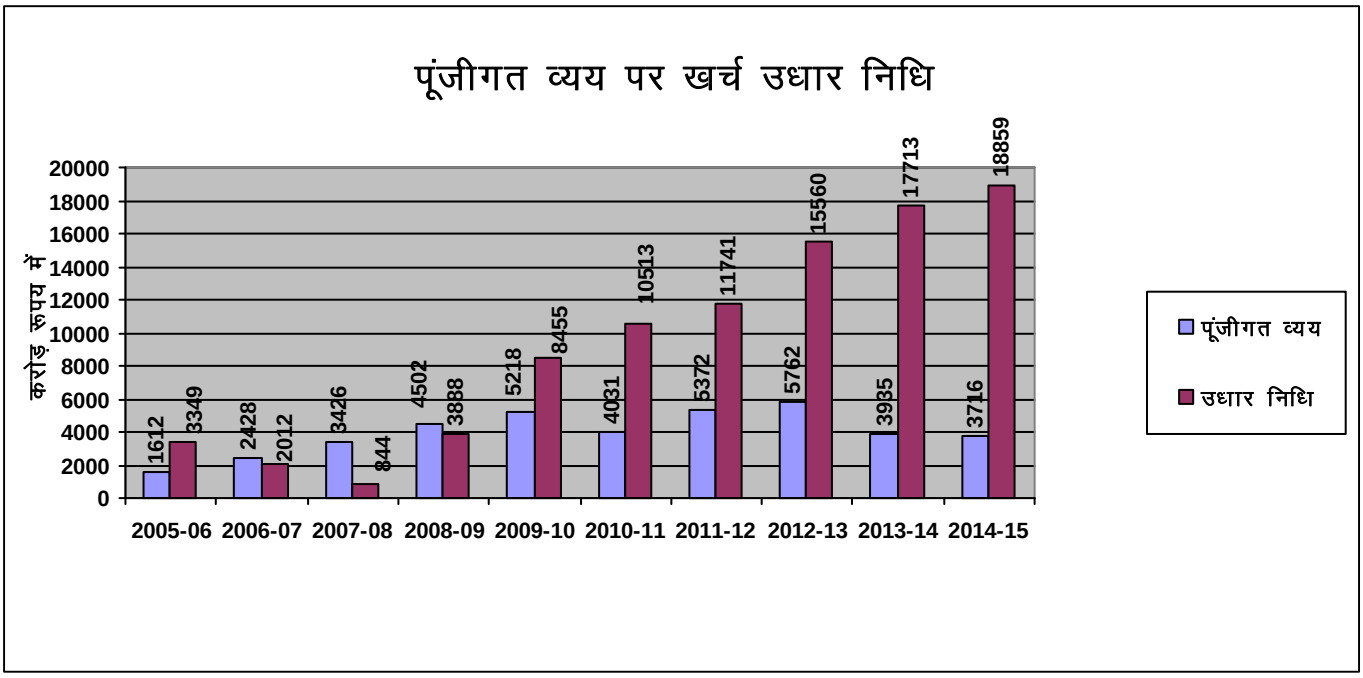

यह वांछनीय है कि पूंजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए उधार ली गई रकम का उपयोग मूलधन तथा ब्याज के पुनर्भुगतान के लिए राजस्व् प्राप्ति का पूरी तरह से उपयोग करें। बहरहाल राज्य सरकार चालू वर्ष में उधारी (₹18,859 करोड़)का केवल 20 प्रतिशत पूंजीगत व्यय (₹ 3,716 करोड़) पर खर्च कर पाई। इससे यह प्रकट होता है कि लोक ऋण का 80 प्रतिशत (₹ 15,143 करोड़) पिछले वर्षों के लोक ऋण के मूलधन और ब्याज के पुनर्भुगतान, चालू वर्ष में व्यय के प्रति राजस्व की आवधिक कमी को पूरा करने हेतु, उपयोग किया गया।

अध्याय 2 - प्राप्तियाँ

2.1. परिचय

सरकार की प्राप्तियों को राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वर्ष 2014-15 के लिए कुल प्राप्तियां ₹ 53,677 करोड़ रही ।

2.2. राजस्व प्राप्तियाँ

कर राजस्व	संविधान के अनुच्छेद 280 (3) के तहत केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा एवं राज्य द्वारा संग्रहीत और रखे गए कर इसके अन्तर्गत आते है ।
कर भिन्न राजस्व	ब्याज प्राप्तियां, लाभांश, लाभ आदि शामिल होते हैं।
सहायतानुदान	मूलतः केन्द्रीय सहायता राज्य सरकार को संध सरकार की ओर से सहायता का एक रूप है इसमें बाहरी सहायतानुदान तथा सहायता सामग्री व उपकरण जो विदेशों से प्राप्त हुए हैं, केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान किये गये हैं भी शामिल है ।

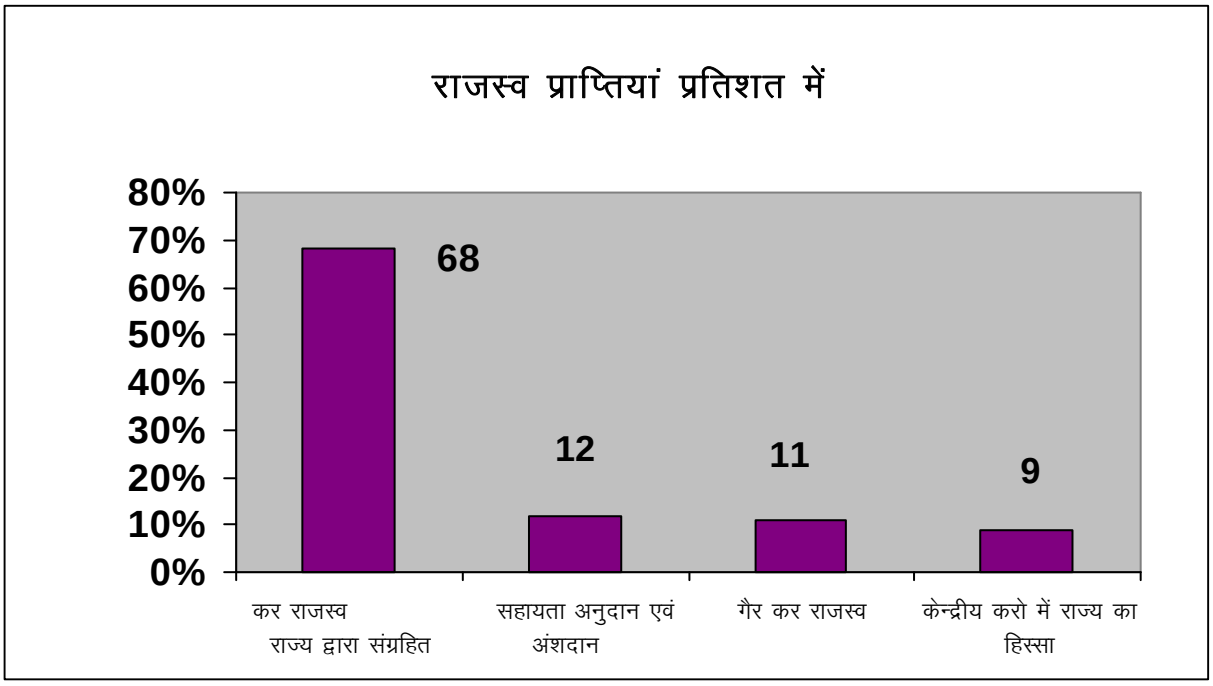

राजस्व प्राप्ति घटक (2014-15)

(₹ करोड़ में)

घटक	वास्तविक आंकड़े
क. राजस्व कर	**31,183**
आय और व्यय पर कर	2,124
पूंजी हस्तान्तरण और सम्पति पर कर	3,127
आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं पर कर	25,932
ख. कर भिन्न राजस्व	**4,613**
ब्याज प्राप्तियाँ, लाभ और लाभांश	939
सामान्य सेवायें	258
सामाजिक सेवायें	1,730
आर्थिक सेवायें	1,686
ग. सहायतानुदान एवं अंशदान	**5,003**
कुल-- राजस्व प्राप्तियाँ	**40,799**

2.3. प्राप्तियों के रूझान

(₹ करोड़ में)

	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
कर राजस्व (राज्य के स्वयं के कर राजस्व)	9,078 (10)	10,927 (8)	11,618 (8)	11,655 (6)	13,220 (6)	16,790 (6)	20,399 (6)	23,559 (7)	25,567 (7)	27,635 (6)
संघ करों में राज्य का हिस्सा	1,201 (1)	1,296 (1)	1,634 (1)	1,725 (1)	1,774 (1)	2,302 (1)	2,682 (1)	3,062 (1)	3,343 (1)	3,548 (1)
कर भिन्न राजस्व	2,459 (3)	4,591 (4)	5,097 (3)	3,238 (2)	2,742 (1)	3,421 (2)	4,722 (2)	4,673 (2)	4,975 (1)	4,613 (1)
सहायतानुदान	1,115 (1)	1,138 (1)	1,402 (1)	1,834 (1)	3,257 (2)	3,051 (1)	2,755 (1)	2,340 (1)	4,127 (1)	5,003 (1)
कुल राजस्व प्राप्तियाँ	13,853 (15)	17,952 (14)	19,751 (13)	18,452 (10)	20,993 (10)	25,564 (10)	30,558 (10)	33,634 (10)	38,012 (10)	40,799 (9)
सकल राज्य धरेलू उत्पादन	93,441	1,30,141	1,54,283	1,82,914	2,16,287	2,57,793	3,09,326	3,53,440	3,83,911	4,35,310

नोटः कोष्ठकों में आंकड़े, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है।
वर्ष 2014-15 के सकल राज्य घरेलू उत्पाद आंकड़े वर्तमान दरों पर सांख्याकि एवं योजना क्रियान्वन मंत्रालय द्वारा 31 जुलाई, 2015 को प्रकाशित है।

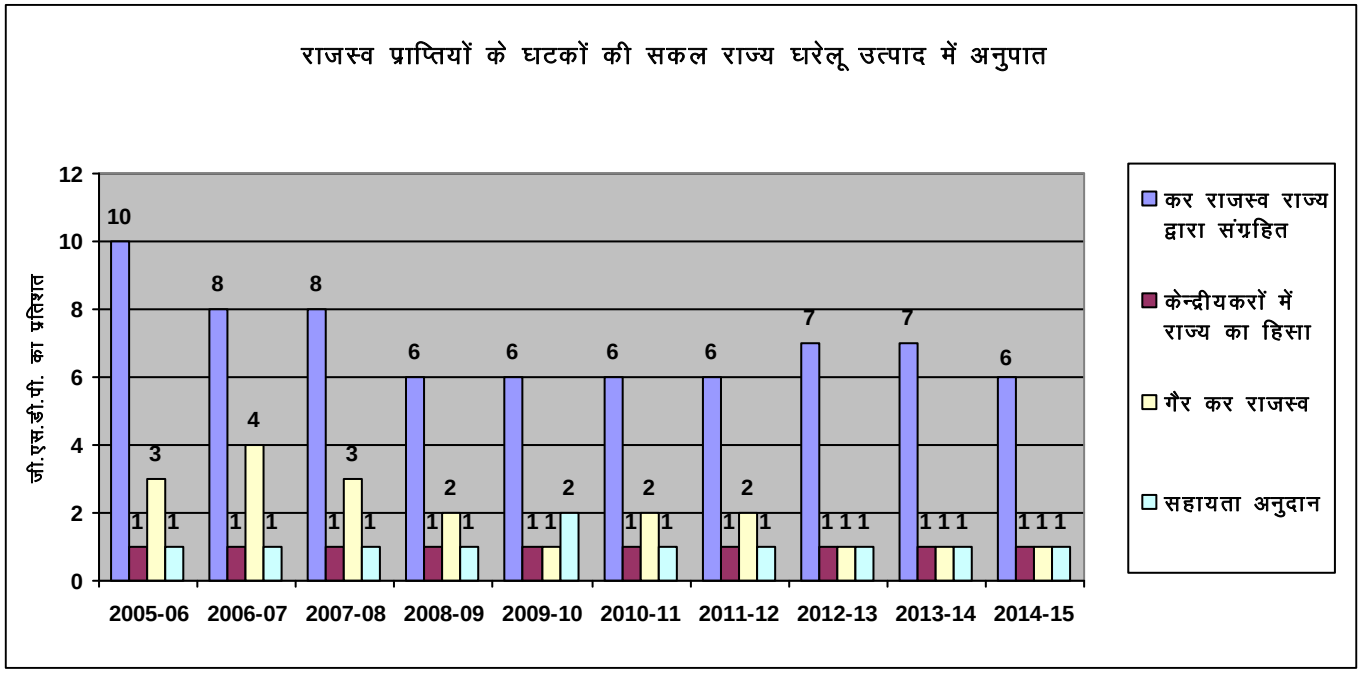

क्षेत्रवार कर राजस्व

(₹ करोड़ में)

	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
क. आय और व्यय पर कर	600	650	867	921	1,137	1,375	1,592	1,759	1,865	2,124
ख. सम्पति और पूंजीगत लेनदेन पर कर	1,353	1,778	1,773	1,335	1,305	2,331	2,808	3,341	3,218	3,127
ग. वस्तुओं और सेवाओं पर कर	8,326	9,795	10,612	11,124	12,552	15,386	18,681	21,521	23,827	25,932
कुल कर राजस्व	**10,279**	**12,223**	**13,252**	**13,380**	**14,994**	**19,092**	**23,081**	**26,621**	**28,910**	**31,183**

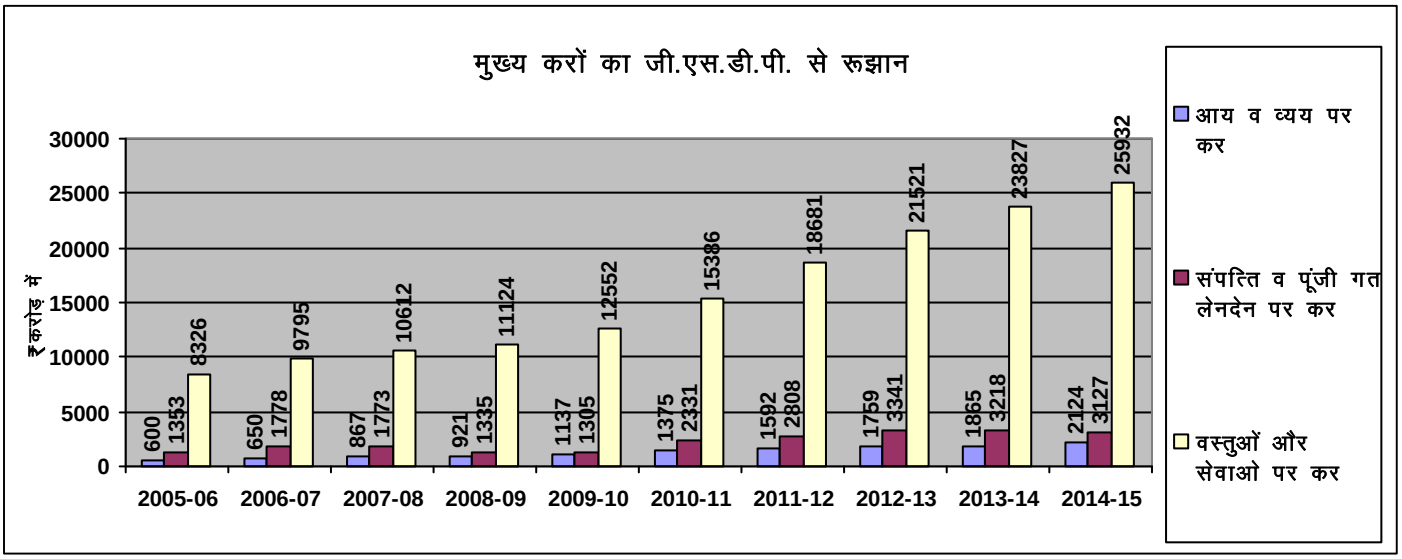

2.4 राज्य के स्वयं के कर राजस्व संग्रह का प्रदर्शन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राजस्व कर	संघ कर का राज्य अंश	राज्य का अपना कर राजस्व	
			रूपये	सकल राज्य धरेलू उत्पाद का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2005-06	10,279	1,201	9,078	10
2006-07	12,223	1,296	10,927	8
2007-08	13,252	1,634	11,618	8
2008-09	13,380	1,725	11,655	6
2009-10	14,994	1,774	13,220	6
2010-11	19,092	2,302	16,790	6
2011-12	23,081	2,682	20,399	6
2012-13	26,621	3,062	23,559	7
2013-14	28,910	3,343	25,567	7
2014-15	31,183	3,548	27,635	6

2.5 कर संग्रह की कार्यकुशलता:

क. पूंजीगत लेन-देन और सम्पति पर कर

(₹ करोड़ में)

	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
राजस्व संग्रह	1,353	1,778	1,773	1,335	1,305	2,331	2,808	3,341	3,218	3,127
संग्रह पर व्यय	47	65	72	93	117	121	116	131	140	164
कर संग्रह में कार्यकुशलता (प्रतिशतता)	4	4	4	7	9	5	4	4	4	5

ख. वस्तुओं और सेवाओं पर कर

(₹ करोड़ में)

	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
राजस्व संग्रह	8,326	9,795	10,612	11,124	12,252	15,386	18,681	21,521	23,827	25,932
संग्रह पर व्यय	63	67	71	95	114	127	127	139	146	170
कर संग्रह के कार्यकुशलता (प्रतिशतता)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

वस्तुओं और सेवाओं पर कर, कर राजस्व का एक बड़ा हिस्सा है । कर संग्रहण क्षमता उत्कृष्ट है, हालांकि संपत्ति और पूंजीगत लेन-देन पर करों की संग्रहण क्षमता में सुधार किया जा सकता है।

2.6 पिछले 10 वर्षो में संघ करों में राज्य के हिस्से का रूझान

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष का विवरण	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
निगम कर	337	404	518	565	730	900	1,056	1,100	1,125	1,239
आय पर निगम कर से भिन्न कर	263	246	348	355	407	475	536	659	740	885
सम्पति पर कर	1	1	1	1	2	2	4	2	3	3
सीमा शुल्क	218	253	309	330	248	403	465	509	546	574
संघ उत्पाद शुल्क	297	268	295	288	200	293	301	345	385	324
सेवा कर	85	124	163	186	187	229	320	447	544	523
संघ कर का राज्यों का हिस्सा	**1,201**	**1,296**	**1,634**	**1,725**	**1,774**	**2,302**	**2,682**	**3,062**	**3,343**	**3,548**
कुल कर राजस्व	**10,279**	**12,223**	**13,252**	**13,380**	**14,994**	**19,092**	**23,081**	**26,621**	**28,910**	**31,183**
कुल कर राजस्व में संघ कर की प्रतिशतता	12	11	12	13	12	12	12	12	12	11

हरियाणा सरकार को वर्ष 2005-06 से 2014-15 तक संघ कर से राज्य का हिस्सा कुल कर राजस्व का 11 प्रतिशत से 13 प्रतिशत की दर से प्राप्त हो रहा है ।

2.7 सहायतानुदान

सहायतानुदान भारत सरकार द्वारा दी गई सहायता को दर्शाता है, और इसमें राज्य योजनागत योजनाएं, केन्द्रीय योजनागत योजनाएं और केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना, योजना आयोग और राज्य वित्त आयोग से सिफारिश की गयी गैर योजनागत अनुदान द्वारा अनुमोदित योजनाओं के लिए अनुदान शामिल है ।

वर्ष 2014-15 के दौरान सहायता अनुदान के तहत कुल प्राप्तियां ₹ 5,003 करोड़ थी जिन्हें कि नीचे दिखाया गया है ।

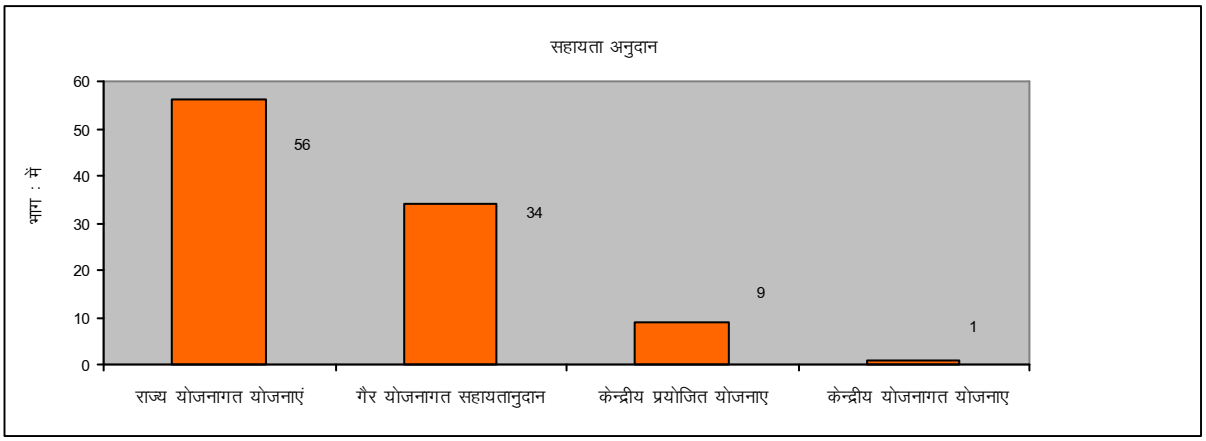

वर्ष 2014-15 के दौरान गैर योजनागत अनुदान की हिस्सेदारी वर्ष 2013-14 के कुल सहायतानुदान 54 प्रतिशत से घटकर 34 प्रतिशत हुई है । जबकि वर्ष 2014-15 में योजनागत स्कीम अनुदान में हिस्सदारी वर्ष 2013-14 के 46 प्रतिशत से बढ कर 66 प्रतिशत हुई है ।

2.8 लोक ऋण

पिछले 10 वर्षो में लोक ऋण [निवल वृद्धि (+)/ कमी(-)] का रूझान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
आंतरिक ऋण	2,311	988	48	2,644	5,743	5,688	6,857	9,338	9,463	10,654
केन्द्रीय सरकार ऋण	(-) 70	(-) 90	(-) 45	(-) 48	(-) 34	184	(-)127	(-)76	173	(-)23
कुल लोक ऋण वृद्धि/कमी	2,241	898	3	2,596	5,709	5,872	6,730	9,262	9,636	10,631

नोट- नकारात्मक आंकडों से संकेत मिलता है कि अदायगी प्राप्तियों से अधिक है ।

वर्ष 2014-15 में 16 ऋण कुल योग ₹ 13,200 करोड़ भिन्न ब्याज दरें 8.04 प्रतिशत से 9.07 प्रतिशत पर उठाए गए थे जो कि 2017-2025 में सम मूल्य पर प्रतिदेय थे ।

वर्ष 2014-15 में राज्य सरकार का कुल आंतरिक ऋण ₹ 18,728 करोड़ जिसमें केन्द्रीय ऋण घटक ₹ 131 करोड़ भी शामिल थी, पूंजीगत व्यय जो कि केवल ₹ 3,715 करोड़ (20 प्रतिशत) था, दर्शाता है कि बाकी का लोक ऋण गैर विकासात्मक प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल किया गया था ।

अध्याय 3 - व्यय

3.1. परिचय

व्यय को राजस्व और पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है । संगठन की प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पुरा करने के लिए राजस्व व्यय किया जाता है । पूंजीगत व्यय का उपयोग स्थायी सम्पत्तियों के निर्माण अथवा इनमें वृद्धि करने अथवा स्थायी दायित्वों को कम करने में किया जाता है । व्यय को आगे योजनागत और गैरयोजनागत व्यय में वर्गीकृत किया जाता है ।

सामान्य सेवायें	न्याय, पुलिस, जेल, लोक निर्माण विभाग पेंशन इत्यादि शामिल
सामाजिक सेवायें	शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जल आपूर्ति, अनुसूचित जाति/ जनजाति का कल्याण शामिल
आर्थिक सेवाएं	कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई , सहकारिता, उर्जा, उद्योग, परिवहन शामिल।

3.2. राजस्व व्यय

पिछले 10 वर्षो के दौरान राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत बजट अनुमानों के विरूद्ध व्ययों की कमी का विवरण नीचे दिया है ।

(₹ करोड़ में)

	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
अनुमानित बजट	13,696	16,929	18,521	23,364	27,519	33,062	37,234	43,098	48,999	56,953
वास्तविक	12,800	16,494	17,641	20,635	25,435	28,713	32,116	38,206	41,968	49,408
अन्तर	896	435	880	2,729	2,084	4,349	5,118	4,892	7,031	7,545
अनुमान बजट से अधिक अन्तर का प्रतिशत	7	3	5	12	8	13	14	11	14	13

(स्रोत- संबंधित वर्ष के विनियोग लेखे)

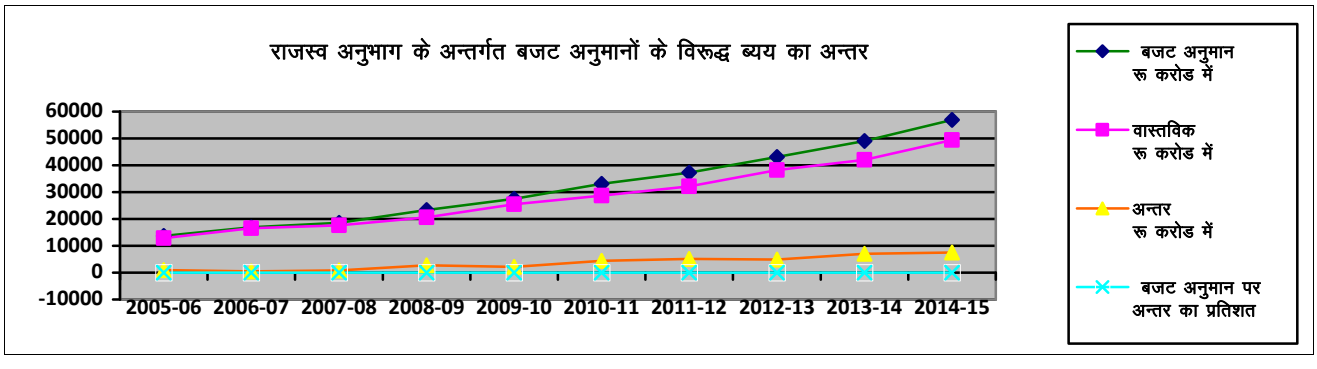

वर्ष 2014-15 के विनियोग लेखे में राजस्व व्यय ₹ 49,408 करोड़, बजट अनुमान से ₹ 7,547 करोड़ कम रहा ।

बजट अनुमानों के विरूद्ध राजस्व प्राप्तियों में कमी 14 प्रतिशत) के कारण राज्य सरकार को राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन (एफ आर बी एम) अधिनियम के संदर्भ में राजस्व अधिशेष सृजन करने में कठिनाई का सामना करना पड़ा । कुल राजस्व व्यय के 51 प्रतिशत के लगभग गैर योजनागत व्यय (वेतन, पेंशन, ब्याज इत्यादि) पर खर्च की गई ।

3.2.1 राजस्व व्यय का सेक्टर वितरण (2014–15)

(₹ करोड़ में)

अवयव	राशि	प्रतिशत
क. वित्तीय सेवायें	335	1
(i) पूंजी लेनदेन और सम्पति पर कर की वसूली	164	-
(ii) वस्तुओं और सेवाओं पर कर की वसूली	170	-
(iii) अन्य वित्तीय सेवाएं	01	-
ख. राज्य के अंग	747	1
ग. ब्याज भुगतान और ऋण सेवाएं	6,928	14
घ. प्रशासनिक सेवाएं	3,499	7
ड़. पेंशन और विविध सामान्य सेवाएं	5,256	11
च. सामाजिक सेवाएं	19,120	39
छ. आर्थिक सेवाएं	13,088	27
ज. सहायतानुदान और अंशदान	145	-
कुल व्यय (राजस्व लेखा)	49,118	100

3.2.2 व्यय (2006-2015)

(₹ करोड़ में)

क्र.स	क्षेत्र	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1.	सामाजिक सेवाएं	3,995	4,615	5,739	7,259	9,902	10,904	12,641	14,516	15,414	19,120
2.	आर्थिक सेवाएं	3,815	6,627	6,222	7,036	7,530	7,997	9,054	11,557	12,740	13,088
3.	ऋण और अग्रिम	2,142	2,316	2,396	2,386	2,809	3,424	4,152	4,955	5,850	6,928
4.	सामान्य सेवाएं (ब्याज भुगतान और ऋण सेवाएं के अतिरिक्त)	2,438	2,529	2,833	3,638	4,946	5,904	6,068	6,942	7,747	9,837

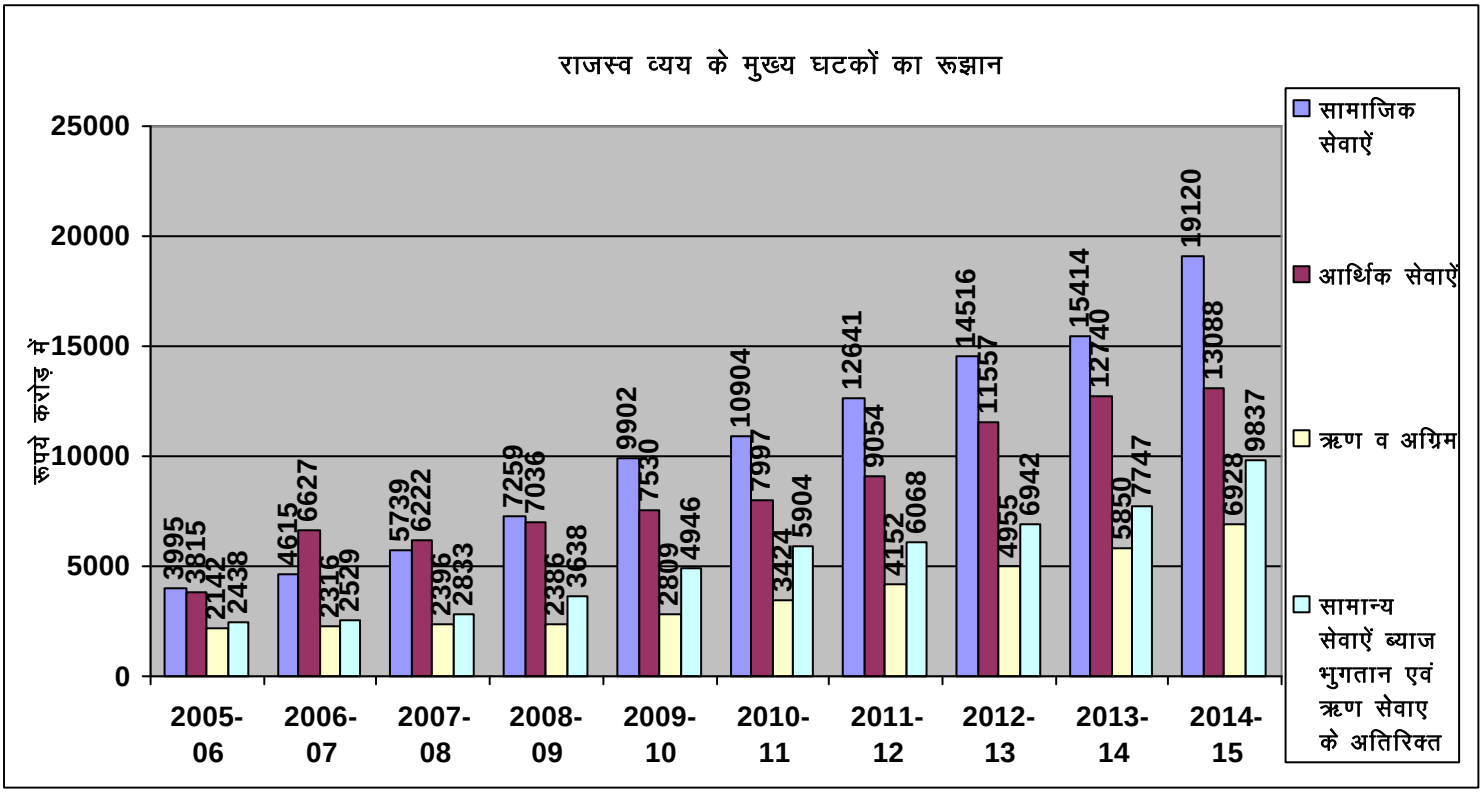

3.3. पूंजीगत व्यय

वर्ष 2014-15 का पूंजीगत संवितरण सकल धरेलू उत्पाद के 1 प्रतिशत जो कि बजट अनुमान से ₹ 2,189 करोड़ कम था ।

3.3.1. पूंजीगत व्ययों का क्षेत्रवार संवितरण

वर्ष 2014-15 के दौरान सरकार ने विभिन्न परियोजनाओं पर ₹ 744 करोड़ खर्च किए (₹ 222 करोड़ मुख्य सिंचाई पर तथा ₹ 522 करोड़ मध्यम सिंचाई पर) और विभिन्न सांवधिक निगमों/कंपनियों/सोसायटियों में ₹ 121 करोड़ निवेश किए।

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	क्षेत्र	राशि	प्रतिशत
1.	सामान्य सेवाएं-पुलिस, भूमि राजस्व आदि	291	6
2.	सामाजिक सेवाएं-शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, जलापूर्ति, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति का कल्याण, आदि	1,898	42
3.	आर्थिक सेवाएं-कृषि, ग्रामिण विकास, सिंचाई, सहकारिता, उर्जा, उद्योग, परिवहन आदि	1,527	34
4.	ऋण और अग्रिम संवितरण	843	18
कुल		**4,559**	**100**

3.3.2 पिछले 10 वर्षों में पूंजीगत व्यय का क्षेत्रवार वितरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	क्षेत्र	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1.	सामान्य सेवाएं	82	90	171	195	187	199	235	251	282	291
2.	सामाजिक सेवाएं	439	649	922	1,109	1,070	1,230	1,367	1,446	1,824	1,898
3.	आर्थिक सेवाएं	1,091	1,688	2,333	3,198	3,961	2,602	3,770	4,065	1,829	1,527
4.	ऋण और अग्रिम	177	185	286	332	830	722	627	522	775	843
	कुल	**1,789**	**2,612**	**3,712**	**4,834**	**6,048**	**4,753**	**5,999**	**6,284**	**4,710**	**4,559**

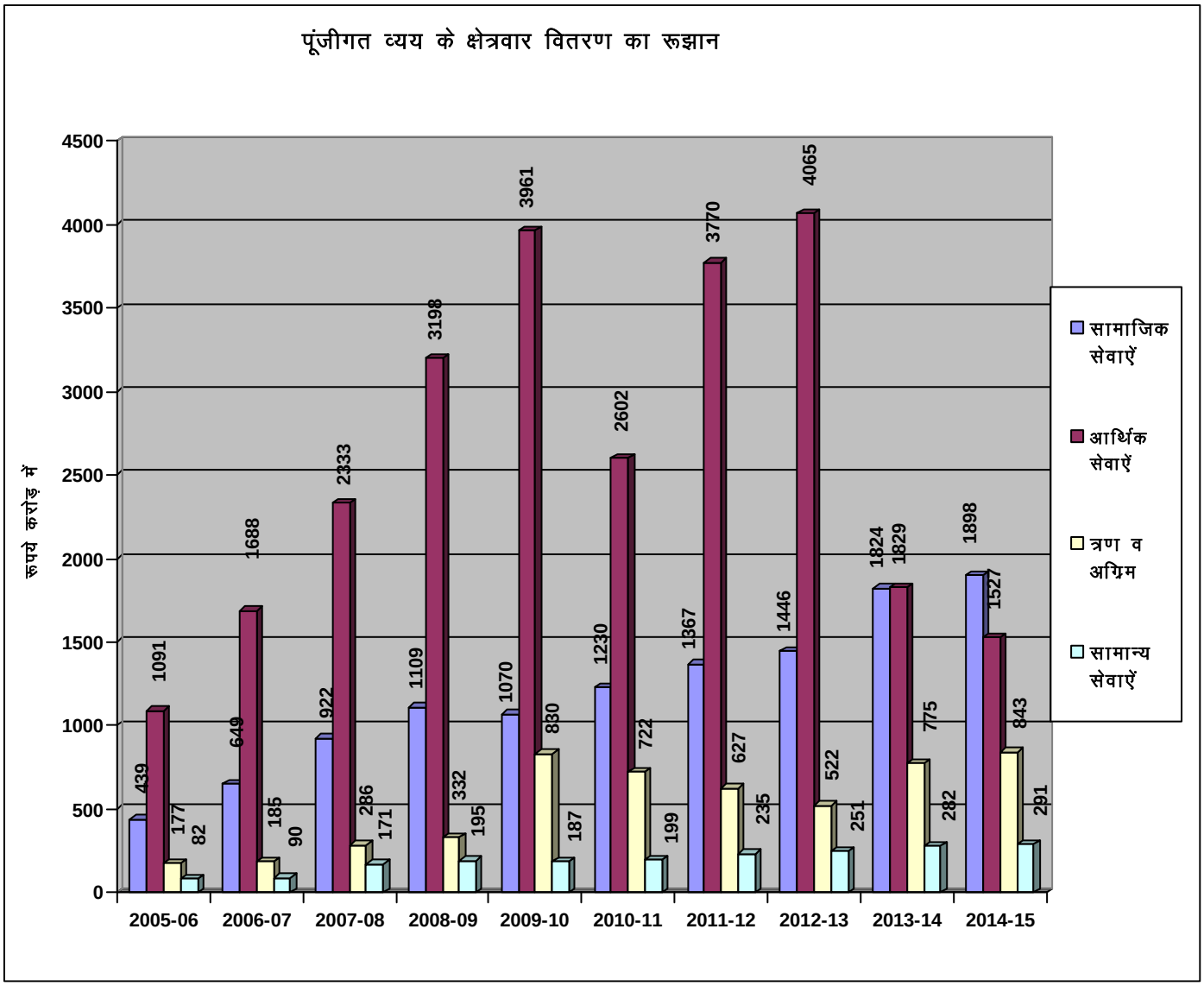

अध्याय 4 - योजनागत एवं गैर योजनागत व्यय

4.1 व्यय का वितरण (2014-15)

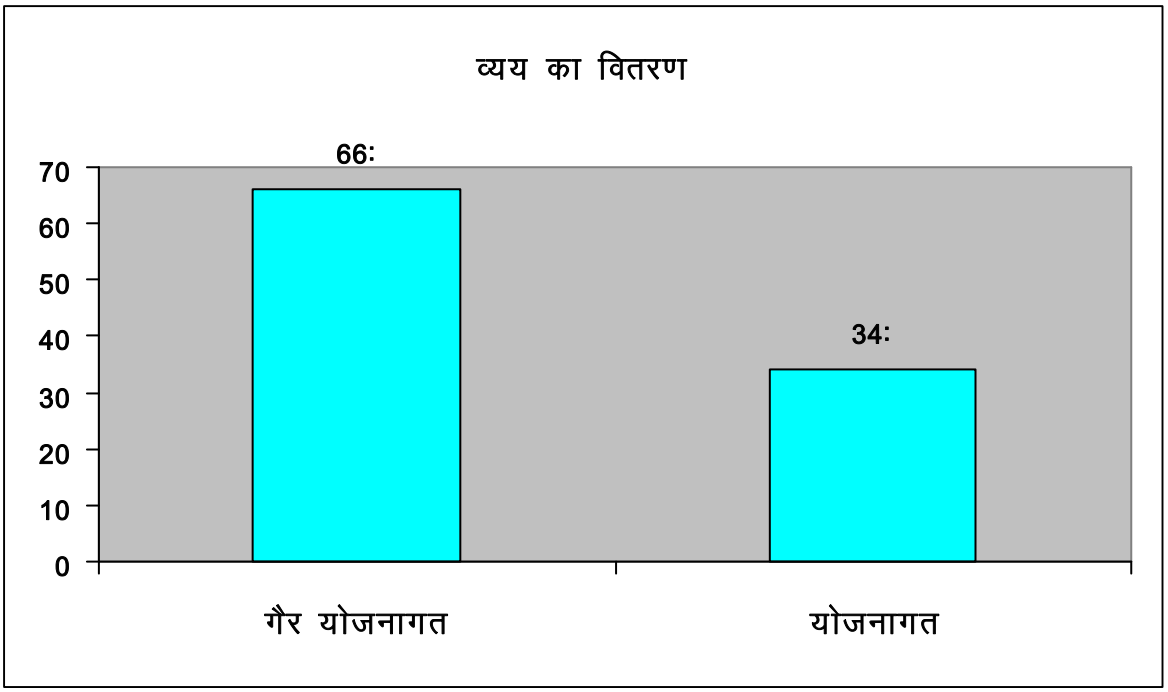

4.2 योजनागत व्यय

वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 18,144 करोड़ कुल संवितरण के 34 प्रतिशत योजनागत व्यय (₹ 14,662 करोड़ राज्य योजनागत के अन्तर्गत, ₹ 2,935 करोड़ केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनागत स्कीमें और ₹ 547 करोड़ ऋण और अग्रिम के तहत) था।

4.2.1 योजनागत व्यय का रूझान

(₹ करोड़ में)

	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
कुल व्यय	14,429	18,974	21,238	25,369	31,305	33,063	38,014	44,356	46,597	53,677
पूंजीगत व्यय	3,707	4,975	6,612	7,928	10,534	10,634	12,510	13,931	15,712	18,144
पुंजीगत व्यय का प्रतिशत	26	26	31	31	34	32	33	31	34	34
पुंजीगत व्यय का प्रतिशत	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4

4.2.2 पूंजीगत खाते के अंतर्गत योजनागत व्यय

(₹ करोड़ में)

	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
कुल पूंजीगत व्यय	1,789	2,612	3,711	4,834	6,048	4,753	5,999	6,284	4,710	4,559
पूंजीगत व्यय (योजनागत)	1,692	2,521	3,436	4,010	4,819	4,383	4,718	4,475	5,560	5,384
पुंजीगत व्यय का प्रतिशत (योजनागत) और कुल पूंजीगत व्यय	95	97	93	83	80	92	79	71	118	118

4.3 गैर योजनागत व्यय

वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 35,533 करोड़ कुल संवितरण के 66 प्रतिशत गैर योजनागत व्यय (₹ 36,358 करोड़ राजस्व, (-) ₹ 1,121 करोड़ पूंजीगत और ₹296 करोड़ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत) था ।

4.3.1 गैर योजनागत व्यय का रूझान

(₹ करोड़ में)

	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
कुल व्यय	14,429	18,974	21,238	25,369	31,305	33,063	38,014	44,356	46,597	53,677
पूंजीगत व्यय	10,722	13,999	14,626	17,441	20,771	22,429	25,504	30,425	30,885	35,533
पुंजीगत व्यय का प्रतिशत	74	74	69	69	66	68	67	69	66	66
पुंजीगत व्यय का प्रतिशत	11	11	9	10	10	9	8	9	8	8

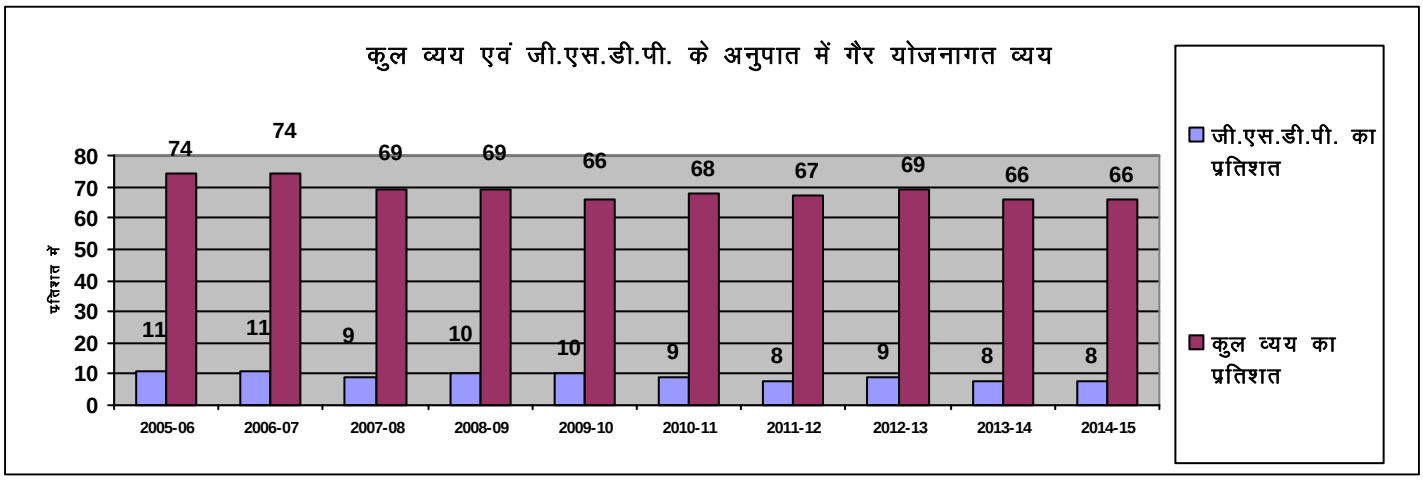

4.4 प्रतिबद्ध व्यय

(₹ करोड़ में)

घटक	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
प्रतिबद्ध व्यय *	7,002	7,563	8,209	10,454	13,590	16,085	17,084	19,650	21,326	25,289
राजस्व व्यय	12,640	16,362	17,527	20,535	25,257	28,310	32,015	38,072	41,887	49,118
प्रतिबद्ध व्यय का राजस्व प्राप्ति (अध्याय 2) से प्रतिशत	51	42	42	57	65	63	56	58	56	62
प्रतिबद्ध व्यय का राजस्व व्यय से प्रतिशत	55	46	47	51	54	57	53	52	51	51

प्रतिबद्ध व्यय पर अत्यधिक व्यय की प्रवृत्ति विकासात्मक व्यय के लिए सरकार को कम लचीलापन देती है ।

* ब्याज अदायगियां, पैंशन अदायगी व वेतन(केवल राजस्व व्यय) शामिल हैं।

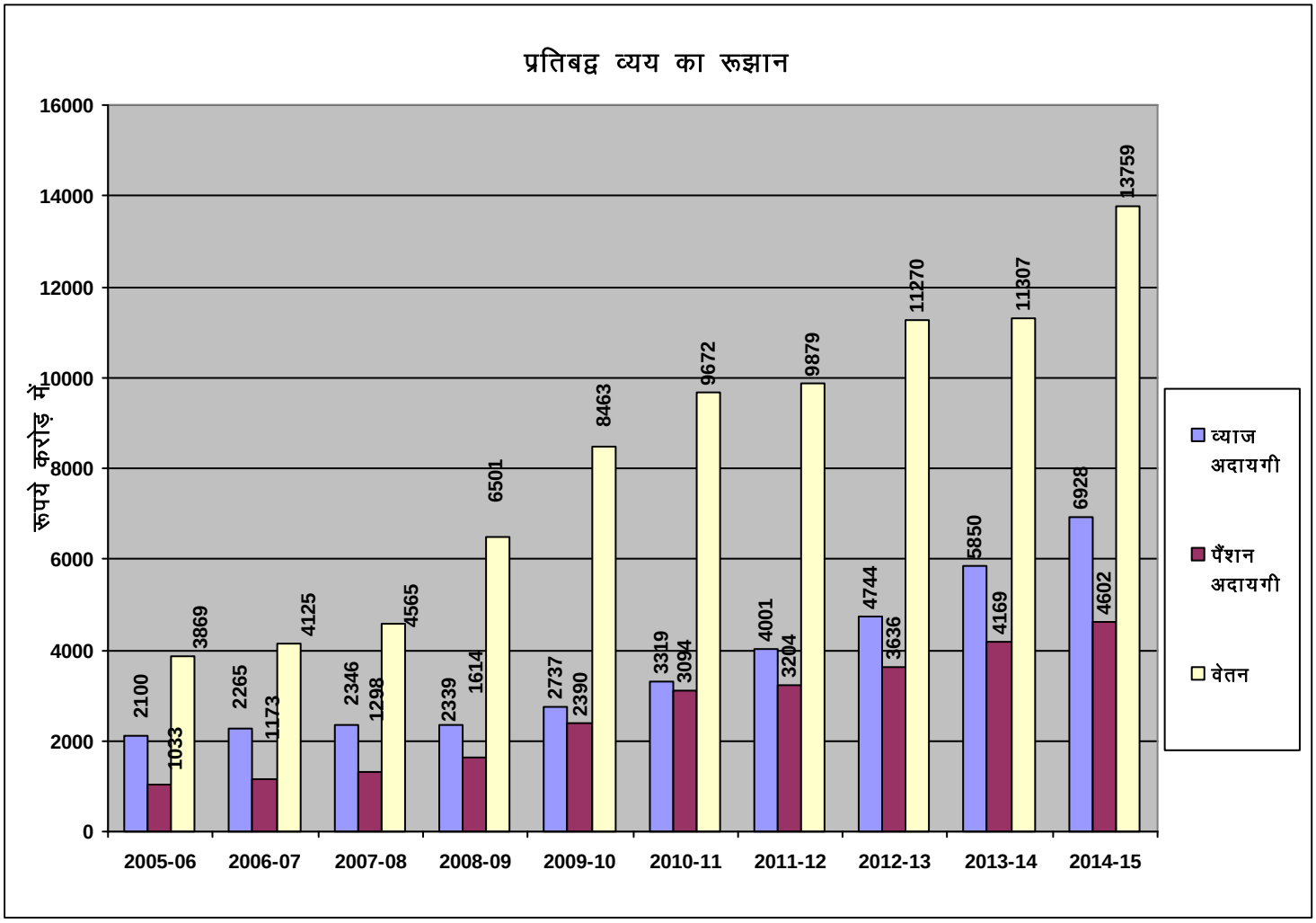

अध्याय 5 - विनियोग लेखे

5.1. विनियोग लेखे 2014-15 का सारांश

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान	अनुपूरक अनुदान	पुनर्विनियोजन	कुल	वास्तविक व्यय	बचत (-) आधिक्य (+)
1	**राजस्व**						
	दत्तमत	45,405	2,873	(-) 6,191	42,087	41,708	(-)379
	भारित	7,708	967	(-)190	8,485	7,700	(-) 785
2	**पूंजीगत**						
	दत्तमत	14,452	511	(-) 5,385	9,578	10,343	765
	भारित	65	..	(-) 1	64	67	3
3	लोक ऋण						
	भारित	13,850	..	(-) 5,623	8,227	8,227	..
4	ऋण और अग्रिम						
	दत्तमत	1,001	..	(-) 159	842	843	1
	कुल						
	दत्तमत	**60,858**	**3,384**	**(-) 11,735**	**52, 507**	**52,894**	**387**
	भारित	**21,623**	**967**	**(-) 5,814**	**16,776**	**15,994**	**(-) 782**

5.2. अनावश्यक अनुपूरक अनुदान

वर्ष 2014-15 के दौरान अनावश्यक सिद्ध हुई अनुपूरक अनुदानों का विवरण नीचे दिया गया है

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	अनुदान की संख्या और नाम	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान में से बचत	अनुपूरक प्रावधान
	राजस्व (दतमत्त)				
1	5-आबकारी तथा कराधान	182	153	29	1.06
2	7-आयोजना तथा सांख्यिकी	409	76	333	0.36
3	9-शिक्षा	9,459	8,744	715	655
4	13-स्वास्थ्य	2,700	2,174	526	50
5	15-स्थानीय शासन	2,071	1,537	534	50
6	21-महिला तथा बाल विकास	886	698	188	7
7	24-सिंचाई	1,622	1,114	508	4
8	26-खान एवं भू-विज्ञान	10	9	1	0.78
9	27-कृषि	1,254	802	452	22
10	29-वन तथा वन्य प्राणी	31	28	3	0.13
11	32-ग्रामीण तथा सामुदायिक विकास	2,503	1,978	525	56
12	34-परिवहन	1,878	1,791	87	30
13	38-लोक-स्वास्थ्य तथा जलपूर्ति	1,427	1,360	67	48
14	44-मुद्रण तथा लेखन सामग्री	36	33	3	1.50
	राजस्व (प्रभारित)				
1	3-सामान्य प्रशासन	7.91	7.25	0.66	0.30
	पूंजीगत (दतमत्त)				
1	8-भवन तथा सड़के	2,073	1,845	228	221
2	21-महिला तथा बाल विकास	171	57	114	50
3	34-परिवहन	196	168	28	1

कुल 46 अनुदानों में सें, 26 अनुदान दत्तमत्त, 01 प्रभारित एवं शेष 19 अनुदान दत्तमत एवं प्रभारित से संबंधित है।

5.3. पिछले 10 वर्षो का बचत और आधिक्य का रूझान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बचत (-) /आधिक्य (+)				कुल
	राजस्व	पूंजीगत	लोक ऋण	ऋण और पेशगियां	
2005-06	(-) 896	213	(-) 475	(-) 41	(-) 1,199
2006-07	(-) 434	85	(-) 684	(-) 7	(-) 1,040
2007-08	(-) 880	71	(-) 1,375	(-) 12	(-)2,196
2008-09	(-) 2,729	245	(-) 1,097	(-) 137	(-)3,718
2009-10	(-) 2,084	(-)537	(-) 2,032	(-) 654	(-)5,307
2010-11	(-) 4,349	(-)1,304	(-) 3,226	(-)881	(-)9,760
2011-12	(-) 5,118	(-)856	(-) 2,944	(-) 533	(-)9,451
2012-13	(-) 4,892	(-) 1,474	(-) 4,251	(-) 366	(-) 10,983
2013-14	(-) 7,031	(-) 4,495	(-) 5,027	(-) 314	(-) 16,867
2014-15	(-) 7,545	(-) 4,618	(-) 5,623	(-) 158	(-) 17,944

5.4. महत्वपूर्ण बचत

अनुदान के तहत पर्याप्त बचत कुछ योजनाओं का गैर कार्यान्वयन कार्यक्रमों के धीमी कार्यान्वयन को इंगित करता है ।

जिन अनुदानों में लगातार बचत दिखाई गयी निम्न प्रकार है

(प्रतिशत में)

ग्रांट का नाम	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
पशुपालन	13	11	2	3	10	7	8	13	17	9
सिंचाई	4	3	5	10	9	26	30	27	25	32

अध्याय 6 - परिसम्पत्तियाँ और दायित्व

6.1. परिसम्पत्तियाँ

खातों के मौजूदा स्वरूप सरकारी परिसम्पत्तियों, जैसे भूमि, भवनों आदि का पूर्ण रूप से सही मूल्यांकन नहीं दर्शाते । (अधिग्रहण-खरीद के वर्ष छोड़कर) इसी प्रकार खाते, केवल चालू वर्ष में होने वाले देनदारियों के प्रभाव को दर्शातें हैं वे केवल एक सीमा तक ब्याज की दर तथा मौजूदा ऋण की अवधि को दर्शाते हैं न कि देनदारियों का भविष्य में होने वाले सम्पूर्ण प्रभाव को ।

6.1.1 निवेश तथा लाभ

वर्ष 2014-15 में गैर वित्तीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में शेयर पूंजी के रूप में कुल निवेश ₹ 7,500 करोड़ था । वर्ष के दौरान लाभांश प्राप्ति ₹ 5.80 करोड़ (निवेश का 0.08 प्रतिशत) था । वर्ष 2014-15 में निवेश में ₹ 121 करोड़ की वृद्धि हुई है जबकि लाभांश आय में ₹ 0.69 करोड़ की कमी हुई है । भारतीय रिजर्व बैंक के साथ आरंभिक रोकड़ शेष (-) ₹ 652 करोड़ था। रोकड़ शेष 31 मार्च 2015 के अंत मे बढ़ कर ₹ 76 करोड़ हो गया ।

6.1.2 रोकड़ शेष का निवेश और नकदी शेष

(₹ करोड़ में)

घटक	31 मार्च 2015 तक	31 मार्च 2014 तक	शुद्ध वृद्धि (+)/कमी(-)
रोकड़ शेष	76	(-) 652	728
रोकड़ शेष से निवेश (जी.ओ.आई. खजाना बिल)	2,572	3,774	(-)1,202
निर्धारित निधि शेष से निवेश	3,857	2,886	971
(क) निक्षेप निधि	1,151	1,060	91
(ख) गारंटी मोचन निधि	753	88	665
(ग) अन्य निधि	1,953	1,738	215
ब्याज प्राप्ति	80	113	(-)33

6.2. ऋण और दायित्व

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 293 राज्य सरकारों को संचित निधि की अभिरक्षा पर एक सीमा के भीतर, यदि कोई है उधार लेने की शक्तियां प्रदान करता है जो कि राज्य विधानमण्डल द्वारा समय-

समय पर निर्धारित की जाती है । राज्य सरकार के लोक ऋण तथा दायित्वों का विस्तृत विवरण निम्नलिखित है

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लोक ऋण	जी.एस. डी.पी से %	लोक लेखा (*)	जी.एस. डी.पी से %	कुल दायित्व	जी.एस. डी.पी से %
2005-06	19,588	21	7,435	8	27,023	29
2006-07	20,487	16	8,129	6	28,616	22
2007-08	20,489	13	8,628	6	29,117	19
2008-09	23,085	13	9,193	5	32,278	18
2009-10	28,795	13	10,542	5	39,337	18
2010-11	34,666	13	11,616	5	46,282	18
2011-12	41,396	13	13,144	4	54,540	18
2012-13	50,658	14	14,160	4	64,818	18
2013-14	60,294	16	15,969	4	76,263	20
2014-15	70,925	16	17,521	4	88,446	20

(*) उचन्त और प्रेषण शेष से बाहर है।

नोटः वर्ष के अन्त तक आंकड़े प्रगतिशील शेष हैं ।

वर्ष 2013-14 की तुलना में लोक ऋण और अन्य दायित्वों में ₹ 12,183 करोड़ (16%) की निविल वृद्धि हुई है ।

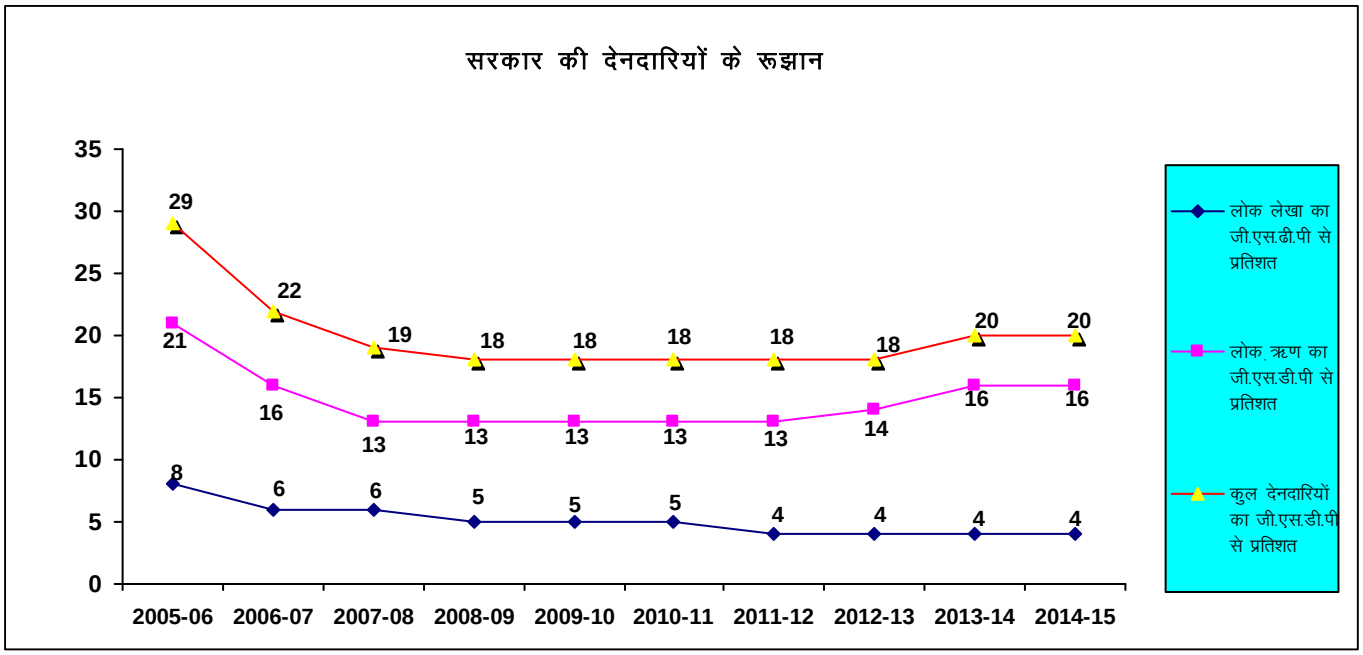

6.3. गारंटी

विधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों निगमों, सहकारी समितियों आदि द्वारा ली गई पूंजी और उस पर ब्याज के भुगतान की अदायगी के लिए राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटियॉ, उनके न चुका पाने की स्थिति में राज्य सरकार की संचित निधि पर उत्तरदायित्व है। गारंटियों की स्थिति राज्य सरकार से सीधे ली गई सूचना अनुसार है एवं नीचे दिखाई गई हैः-

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अधिकतम गारंटी राशि (केवल मूलधन)	वर्ष के अन्त तक राशि	
		मूलधन	ब्याज
2005-06	8,448	5,627	17
2006-07	12,694	5,074	1
2007-08	6,341	4,401	-
2008-09	5,188	4,575	-
2009-10	4,757	4,536	-
2010-11	5,515	4,527	-
2011-12	10,690	5,608	-
2012-13	31,958	20,733	-
2013-14	38,376	27,306	-
2014-15	31,319	30,388	

अध्याय 7 - अन्य मदें

7.1. राज्य सरकार द्वारा प्रदत ऋण और अग्रिम

वर्ष 2014-15 के अन्त में सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण व अग्रिम का कुल योग ₹ 4,572 करोड़ था । इसमें से सरकारी निगमों/कम्पनियों, गैर सरकारी संस्थानों तथा स्थानीय निकायों को ₹ 3,753 करोड़ कर्जे तथा अग्रिम दिये गये हैं ।

7.2. स्थानीय निकायओं और अन्य को वित्तीय सहायता

वर्ष 2005-06 से वर्ष 2014-15 तक बीते 10 वर्षो में स्थानीय निकायों इत्यादि को सहायतानुदान में ₹842 करोड़ से ₹ 6,106 करोड़ की वृद्धि हुई है । जिला परिषद, पंचायत समितियाँ तथा नगरपालिकाओं, (₹ 1,937 करोड़) को कुल सहायतानुदान का 32 प्रतिशत आबंटन किया गया है ।

बीते 10 वर्षों के सहायतानुदान का विस्तृत विवरण निम्न दर्शाया गया है:-

(₹ करोड़ में)

वर्ष	जिला परिषद	नगरपालिका	पंचायत समिति	अन्य	कुल
2005-06				842	842
2006-07	..	..	..	922	922
2007-08	..	..	..	1,572	1,572
2008-09	..	..	..	2,053	2,053
2009-10	626	306	..	1,724	2,656
2010-11	687	288	..	1,979	2,954
2011-12	797	924	..	2,593	4,314
2012-13	962	1,125	..	2,893	4,980
2013-14	38	1,137	..	4,437	5,612
2014-15	1,192	745	..	4,169	6,106

7.3 व्यय एवं प्राप्तियों का मिलान

व्यय पर कुशलतापूर्वक नियंत्रण, उसे बजट अनुमान के भीतर रखने एवं अपने लेखों को सही रखने के लिए सभी मुख्य नियंत्रण अधिकारियों/ नियंत्रण अधिकारियों को उनके रिकार्ड में दर्ज व्यय एवं प्राप्तियों का मिलान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) द्वारा दर्ज आकडों से हर माह कराना अपेक्षित है। यह मिलान समेकित निधि के अन्तर्गत प्राप्तियों एवं व्यय का शत प्रतिशत के लिए किया जा चुका है।

7.4 लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्र

पंजाब वित्तीय नियम, खण्ड-1 (जैसा कि हरियाणा राज्य में लागू है) के नियम 8.14 के अन्तर्गत जहॉ सहायता अनुदान विशिष्ट प्रयोजनों के लिए स्वीकृत किए जाते हैं, विभागीय अधिकारियों द्वारा प्राप्तकर्ताओं से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने चाहिऍ जिसे जॉच उपरान्त निर्धारित अवधि के भीतर महालेखाकार (लेखा एवं हक.) को भेजना चाहिए। उपयोगिता प्रमाण पत्रों का प्रस्तुत न करना यह सुनिश्चित करने में कठिनाई प्रस्तुत करता है कि

धन का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया गया है या नहीं, जिसके लिए यह जारी किया गया था एवं लेखों में दर्ज व्यय उस सीमा तक अंतिम नहीं माना जा सकता। महालेखाकार (लेखा एवं हक.) के अभिलेखों के अनुसार लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्रों का विवरण निम्न प्रकार है-

वर्ष	उपयोगिता प्रमाण पत्रों की संख्या	राशि(₹ करोड़ में)
2012-13 तक	280	722.26
2013-14	467	1,884.28
2014-15	523	2,479.02
जोड़-	**1,270**	**5,085.56**

लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्रों का एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण विकास, शहरी विकास ,ग्रामीण रोजगार एवं सामान्य शिक्षा विभाग से संबंधित है।

7.5 सार आकस्मिकता बिल (ए0सी0 बिल) का असमायोजन

धन की अग्रिम आवश्यकता होने अथवा आहरण एवं संवितरण अधिकारी के लिए आवश्यक राशि की सही गणना संभव नहीं होने पर उन्हें सेवा शीर्ष को डेबिट करते हुए, संबंधित प्रपत्र संलग्न किए बिना, आकस्मिकता बिल प्रस्तुत करके राशि आहरित करने की अनुमति है । विस्तृत आकस्मिकता बिल(डी0सी0 बिल) बाद में संबंधित प्रपत्रों के साथ एक माह के अन्दर महालेखाकार को प्रस्तुत करने होते हैं। विस्तृत बिलों का देरी से प्रस्तुत करना अथवा लम्बी अवधि तक न प्रस्तुत करना लेखाओं की पूर्णता एवं सत्यता को प्रभावित करता है। 31 मार्च 2015 को 02 सार आकस्मिकता बिल (जेल विभाग द्वारा जैमरों की खरीद के लिए, जनवरी 2013 में आहरित, ₹ 2 करोड का एक, एवं कृषि विभाग द्वारा फरवरी, 2015 में आहरित ₹ 0.79 करोड़. का सार आकस्मिकता बिल) लम्बित है।

7.6 वैयक्तिक जमा खाते

विशिष्ट प्रयोजनों हेतु संचित निधि से धन हस्तान्तरण द्वारा सरकार वैयक्तिक जमा खाते खोलने के लिए प्राधिकृत है । वैयक्तिक जमा खातों में धन का हस्तान्तरण समेकित निधि में संबंधित सेवा मुख्य शीर्ष के नीचे बिना नकदी प्रवाह के व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है। सामान्यतः यह खाते, अव्ययित शेष को वर्ष के अंतिम कार्य दिवस पर राजकोष (समेकित निधि) में जमा करके बन्द किये जाने चाहिए। वैयक्तिक जमा खाते आवश्यकता होने पर अगले वर्ष पुनः खोले जा सकते है । 31 मार्च,2015 को

वैयक्तिक खातों की संख्या शून्य हैं । ऐसे वैयक्तिक जमा खाते जो संचित निधि के अतिरिक्त धन के हस्तान्तरण द्वारा खोले गए है, प्रत्येक वर्ष समीक्षा किए जाने चाहिए एवं तीन वर्ष से अधिक अवधि तक निष्क्रिय रहने वाले खाते बन्द कर दिए जाने चाहिए तथा इन खातों मे पड़ी राशि को सरकारी लेखो को हस्तान्तरित कर दिया जाना चाहिए। ऐसे वैयक्तिक जमा खातों की स्थिति निम्न प्रकार है -

(₹ करोड़ में)

आरंभिक शेष		**वर्ष के दौरान वृद्धि**		**वर्ष के दौरान निकासी**		**अन्त शेष**	
लेखो की संख्या	**राशि**	**लेखो की संख्या**	**राशि**	**लेखो की संख्या**	**राशि**	**लेखो की संख्या**	**राशि**
242	236.78	..	9.72	85	14.13	157	232.37

31 मार्च, 2015 को 157 वैयक्तिक जमा खातों में से 76 (₹ 5.30 करोड़. राशि के) तीन वर्ष से अधिक अवधि से निष्क्रिय हैं एवं निर्धारित प्रक्रिया की अवहेलना करते हुए बंद नहीं किए गए है ।

7.7 लेखे प्रस्तुत करने वाले संकायों से लेखाओं की प्राप्ति

हरियाणा सरकार की प्राप्तियों एवं संवितरणों का संकलन 22 कोषालयों, 113 लोक निर्माण मंडलों, 86 सिंचाई मंडलों एवं 58 वन मण्डलों द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक लेखों तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों के आधार पर किया गया है । लेखे प्रस्तुत करने वाले संकायों से लेखाओं की प्राप्ति संतोषजनक है एवं वर्ष के अन्त में कोई भी लेखा नहीं छोड़ा गया है।

7.8 अपूर्ण लोक निमार्ण कार्यो की बचनबद्धता

31 मार्च, 2015 को प्रत्येक 5 करोड़ एवं उससे अधिक के 125 अपूर्ण लोक निमार्ण कार्य थे।

7.9 आरक्षित निधियॉ

आरक्षित निधियों का विवरण वित्त लेखों की विवरणी 21 एवं 22 में उपलब्ध है। विशिष्ट परियोजनों हेतु कुल 11 आरक्षित निधियॉ मौजूद थी जिनमें से 8 निधियॉ प्रचलित एवं 3 निधियॉ 4 से 31 वर्ष की अवधि से अप्रचलित थी। कुछ मुख्य आरक्षित निधियों का विवरण नीचे दिया गया है:

7.9.1 समेकित निक्षेप निधि

हरियाणा सरकार द्वारा खुले बाजार कर्जो की अदायगी के लिए वर्ष 2002 में समेकित निक्षेप निधि का गठन किया गया । नियमानुसार, सरकार द्वारा पूर्व वर्ष के अन्त में खुले बाजार कर्जो के 1 से 3 प्रतिशत के बराबर निधि को अंशदान निर्धारित है। हालांकि,12वें वित्त आयोग की सिफारिशों एवं भारतीय रिजर्व बैंक के 2006 के दिशा निर्देशों के अनुसार अंशदान, राज्य की कुल देनदारियों (आन्तरिक ऋण एवं लोक लेखा दायित्व) के 0.5 प्रतिशत के बराबर करने का प्रावधान है ।

राज्य सरकार द्वारा 2014-15 में समेकित निधि को अंशदान हेतु ₹ 699.38 करोड. बजट प्रावधान (₹ 296.58 करोड 2013-14 का बकाया एवं ₹402.80 करोड. 2014-15 के लिए जो कि वर्ष 2014-15 की शुरूआत में ₹40,279.94 करोड. खुले बाजार कर्जो का 1 प्रतिशत) किया गया ।

राज्य सरकार द्वारा अपनी समेकित निक्षेप निधि स्कीम को पूर्व वर्ष के अन्त में लम्बित देनदारियों के 0.5 प्रतिशत के बराबर अंशदान करने के लिए बदलाव नहीं किया है। इस विधि से 2014-15 के लिए वार्षिक

अंशदान ₹381.32 करोड. होता एवं 2013-14 के लिए अंशदान ₹324.09 करोड. होता। राज्य सरकार द्वारा वर्ष के दौरान समेकित निक्षेप निधि को कोई अंशदान नहीं किया गया जिससे वर्ष 2014-15 के दौरान निधि को अंशदान में ₹402.80 करोड. की कमी रही।

31 मार्च, 2015 को समेकित निक्षेप निधि में ₹1,153.30 करोड़ शेष था जिस में से ₹1,151.17 करोड़ निवेशित है। समेकित निक्षेप निधि का विवरण, वित्त लेखे की विवरणी 21 एवं 22 में दर्ज है ।

7.9.2 गांरटी मोचन निधि

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों एवं स्थानीय निकायों के प्रति दी गई गारंटियों के निर्वहन के लिए हरियाणा सरकार द्वारा वर्ष 2003 में गारंटी मोचन निधि का गठन किया गया। निधि के संविधान के अनुसार राज्य सरकार द्वारा संग्रहित गारंटी फीस , वार्षिक एवं आवधिक अंशदान जो भी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए, गारंटी मोचन निधि को हस्तान्तरित करनी होती है। निधि का संचालन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। वर्ष 2014-15 के शुरू में सरकार की लम्बित गारंटियॉ ₹27,307.71 करोड. थी। भारतीय रिजर्व बैंक के 2013 के दिशा-निदेर्शो में पिछले वर्ष के अन्त में लम्बित गारंटियों के कम-से-कम 3 से 5 प्रतिशत के बराबर निधि कोष बनाने हेतु, प्रत्येक वर्ष उस वर्ष के शुरू में लम्बित गारंटियों के कम-से-कम 1 प्रतिशत एवं उसके बाद पूर्व वर्ष में लम्बित गारंटियों के 0.5 प्रतिशत के बराबर अंशदान करना कहा गया है। वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा ₹653.50 करोड़ (₹ 405.06 करोड. 2013-14 के बकाया एवं ₹ 288.44 करोड. वर्ष 2014-15 के लिए प्रावधान) अंशदान किया गया।

31 मार्च, 2015 को निधि में ₹753.15 करोड. (जो ₹27,307.71 करोड. लम्बित गारंटियों का 2.75 प्रतिशत है) का सारा शेष निवेशित है ।

7.9.3 राज्य आपदा राहत निधि

तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2010-11 में आपदा राहत निधि को राज्य आपदा राहत निधि (एस.डी.आर.एफ.) से प्रतिस्थापित किया गया। निधि के दिशार्निदेशों के अन्तर्गत केन्द्र व राज्य सरकारों को निधि में 75:25 के अनुपात में अंशदान देना होता है। निधि में शेषों को इस प्रयोजन हेतु गठित राज्य कार्यकारी समिति की अनुशंसाओं के अनुसार निवेशित किया जाता है। निधि में लेन-देन का विवरण विवरणी संख्या 21 एवं 22 में दिया गया है।

वर्ष 2014-15 के दौरान, केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य आपदा राहत निधि के लिए ₹ 255.41 करोड़ (केन्द्रीय भाग की वर्ष 2014-15 की ₹ 87.93 करोड. की पहली किश्त एवं वर्ष 2013-14 की बकाया राशि ₹ 167.48 करोड़)) जारी किए गए। इसके अतिरक्त भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014-15 के दौरान वर्ष 2013-14 के लिए क्षमता निर्माण के ₹5.00 करोड जारी किए गए। वर्ष 2014-15 का केन्द्रीय भाग की दूसरी किश्त अभी जारी किया जाना था। भारत सरकार द्वारा जारी ₹255.41 करोड के विरूद्ध राज्य भाग ₹85.14 करोड बनता है। राज्य सरकार द्वारा हालांकि, ₹216.37 करोड की राशि बिना स्पष्ट किए कि इसमें राज्य सरकार का कोई हिस्सा था उप सचिव, आपात राहत हरियाणा जिसे एस0डी0आर0एफ0 का प्रशासक नियुक्त किया गया है द्वारा प्रचालित बैंक खाते में हस्तान्तरित की गई । एस0डी0आर0एफ0 को हस्तारण शीर्ष 2245-प्राकृतिक आपदाओं पर राहत, 05- राज्य आपदा राहत निधि, 101- रिजर्व निधि एवं जमा लेखा आपदा राहत निधि को नामे एवं मुख्य शीर्ष 8675 आर.बी.डी. को जमा करते हुए किया गया।

विभागीय अधिकारियों द्वारा बैंक खाता प्रचालित करना, भारत सरकार द्वारा एस0डी0आर0एफ0 पर जारी दिशानिर्देशों के अन्तर्गत अनुमतय नहीं है। इस दिशानिर्देशों के अनुसार, भारत सरकार एवं राज्य सरकार का अंशदान, मुख्य शीर्ष 2245- उपमुख्य शीर्ष 05- लघुशीर्ष 101 को प्रचालित करते हुए लोक लेखा में हस्तान्तरित करने का प्रावधान है । राज्य सरकार को प्राकृतिक आपदा पर व्यय मुख्य शीर्ष 2245 के नीचे संबंधित उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष में करना है जिसे बाद में एस0डी0आर0एफ0 से मुख्य शीर्ष 8121-122 एस0डी0आर0एफ0 को नामे एवं मुख्य शीर्ष 2245- उपमुख्य शीर्ष 05- लघु शीर्ष 901 को समरूपी घटाव प्रवृष्टि करते हुए प्रतिपूर्ति किया जाना है ।

राज्य राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा यह पुष्ट किया गया है कि उक्त ₹216.37 करोड की राशि राज्य आपदा राहत निधि के बैंक लेखे में जमा की गई है। विभाग द्वारा यह भी सूचित किया गया कि प्राकृतिक आपदाओं पर ₹114.24 करोड़ की राशि सीधे बचत बैंक लेखे से बिना कोषालय के माध्यम, राज्य वित्त विभाग के पत्र संख्या ।/15/2009-2एफ.आर.-।।/28594 दिनांक 21 अक्तूबर, 2013 की अनुपालना में खर्च की गई। जब की उक्त व्यय हो चुका था एवं राज्य आपदा निधि में शेष कम हो गया था यह लेन-देन संबंधित शीर्षो के अन्तर्गत महालेखाकार (लेखा एवं हक) द्वारा पुस्तकीय समायोजन द्वारा लेखो में लाए गए। ऐसा ही पुस्तकीय समायोजन वर्ष 2013-14 में किए गए लेन-देन का वर्ष 2014-15 में किया गया। राज्य राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा 31मार्च, 2015 को राज्य आपदा राहत निधि निवेश में ₹1,941.15 करोड का शेष (वर्ष के दौरान राज्य आपदा राहत निधि पर अर्जित

ब्याज स्पष्ट किए बिना) सूचित किया गया। वर्ष 2014-15 में ब्याज के रूप में ₹215.50 करोड का पुस्तकीय समायोजन भी महालेखाकार (लेखा एवं हक) द्वारा लेखो में किया गया। वर्ष 2014-15 के वित्त लेखों के अनुसार मुख्य शीर्ष 8121-122 में शेष एवं राज्य राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के लेखों में दर्ज आकडो में ₹8.99 करोड का अन्तर है। जिसका सरकार द्वारा मिलान करना आवश्यक है।

आगे, वर्ष 2014-15 में, केन्द्रीय एवं राज्य भाग के एस0डी0आर0एफ0 को हस्तान्तरण में ₹124.18 करोड (केन्द्रीय भाग ₹255.41 करोड जमा राज्य भाग ₹85.14 करोड - ₹216.37 करोड हस्तान्तरित) की कमी रही जिससे उसी हद तक राजस्व घाटा कम दिखाया गया । वर्ष 2013-14 के दौरान राज्य भाग के ₹38.11 करोड कम अशंदान को भी राज्य सरकार द्वारा पूरा नहीं किया गया है।

7.10 हरियाणा राज्य कोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम एवं उसके अधीन नियमों के अन्तर्गत प्रकटन

क्र0सं0	लक्ष्य	लेखों के अनुसार उपलब्धि
1	वित्त वर्ष 2005-06 से उत्तरोत्तर राजस्व घाटा कम करते हुए वर्ष 2011-12 में इसे शून्य करना तथा 2014-15 तक उसे बनाए रखना।	लेखाओं के अनुसार हरियाणा सरकार 2013-14 में ₹3,875.02 करोड़ एवं 2014-15 में ₹ 8,319.21 करोड़ राजस्व घाटे में थी। हरियाणा सरकार के लेखे वर्ष 2008-09 से राजस्व घाटा दिखाते रहे हैं।
2	मार्च 2009 अन्त तक राजकोषीय घाटा जी.एस.डी.पी. का 3.5 प्रतिशत एवं 2010-11 में जी.एस.डी.पी. का 3 प्रतिशत तथा उसे 2014-15 तक बनाए रखना।	लेखाओं के अनुसार, हरियाणा सरकार ने 2013-14 में जी.एस.डी.पी का 2.17 प्रतिशत (₹ 8,313.49 करोड) एवं 2014-15 में जी.एस.डी.पी.* का 2.89 प्रतिशत (₹ 12,586.05 करोड़) राजकोषीय घाटा दिखाया।
3	2014-15 में ऋण भण्डार जी.एस.डी.पी. का 22.9 प्रतिशत से अधिक न होना।	वर्ष 2014-15 में राज्य सरकार के कुल बकाया ऋण (₹ 70,925.30 करोड़) जी.एस.डी.पी.* का 16.29 प्रतिशत था।

* वर्तमान दरों पर जी.एस.डी.पी.= ₹ 4,35,310 करोड़ जैसी कि सांख्याकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय (सी0एस0ओ0) द्वारा 31 जुलाई, 2015 को प्रकाशित।

7.11 नई पेंशन स्कीम

31 दिसम्बर, 2005 अथवा उससे पूर्व नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारियों की पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ पर, वर्ष के दौरान व्यय ₹ 4,318.31 करोड (कुल राजस्व व्यय का 8.79 प्रतिशत) था । 1 जनवरी 2006 अथवा उसके बाद नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारी, नई पेंशन स्कीम जो कि एक परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना है, के अन्तर्गत पात्र हैं। इस स्कीम के अन्तर्गत कर्मचारी अपने मूल वेतन व महगांई भत्ते का 10 प्रतिशत अंशदान करता है, उतना ही अंशदान राज्य सरकार करती है एवं सारी राशि, नियुक्त निधि प्रबंधक को राष्ट्रीय प्रतिभूति जमा निगमित (एन.एस.डी.एल.) /अमानती बैंक के माध्यम से हस्तान्तरित की जाती है। कर्मचारियों द्वारा देय वास्तविक राशि एवं राज्य सरकार द्वारा तुलनात्मक अंशदान का वर्ष दर वर्ष अनुमान नहीं लगया गया है। कोषाधिकारियों द्वारा लोक- लेखा से एन0एस0डी0एल0/ अमानती बैंक को शेषों से अधिक धन हस्तान्तरण एवं महालेखाकार (लेखा एवं हक.)

द्वारा दर्ज आकड़ों से मिलान न करने के कारण लोक लेखा शीर्ष 8342-117-परिभाषित अंशदान पेंशन स्कीम के अन्तर्गत 1 अप्रैल, 2014 को ₹ 60.59 करोड़ का ऋणात्मक शेष था। वर्ष के दौरान संबंधित कोषाधिकारियों द्वारा मिलान के फलस्वरूप यह ऋणात्मक शेष वर्ष 2014-15 के अन्त में समाप्त हो गया । वर्ष 2014-15 के दौरान कर्मचारी अंशदान के ₹ 314.54 करोड एवं सरकार के अंशदान के ₹ 2,83.69 करोड के प्रति एन0एस0डी0एल0/ अमानती बैंक को ₹ 529.23 करोड़ हस्तान्तरित किए गए। इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा ₹30.85 करोड. का कम अंशदान उसी हद तक राजस्व घाटा कम दिखाता है ।

लेखा शीर्ष 8342- अन्य जमा, 117- परिभाषित अंशदान पेंशन स्कीम के अन्तर्गत 31मार्च, 2015 को ₹ 8.11 करोड. शेष थे । नई पेंशन योजना पर लम्बित ब्याज का आकलन शुरूआत से ही नहीं किया गया है। कर्मचारी अंशदान एवं सरकारी अंशदान का मिलान नहीं किया गया है जिससे अप्राप्त, असमान एवं अहस्तान्तरित राशि, ब्याज सहित लम्बित उत्तरदायित्व है ।

******